जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956

(1956 का अधिनियम संख्यांक 31)

[18 जून, 1956]

भारत में जीवन बीमा कारबार को, इस प्रयोजन के लिए स्थापित निगम को अंतरित करके ऐसे कारबार का राष्ट्रीयकरण करने के लिए और निगम के कारबार के विनियमन और नियंत्रण के लिए तथा इससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 होगा ।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको धारा 3 के अधीन निगम की स्थापना की गई है ;

[2][(1क) ''संपरीक्षा समिति'' से धारा 19ग के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(1ख) ''निदेशक बोर्ड'' या ''बोर्ड'' से धारा 4के अधीन नियुक्त या नामनिर्दिष्ट या उस रूप में समझा गया निदेशकों का सामूहिक निकाय अभिप्रेत है ;

(1ग) ''अध्यक्ष'' से धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(1घ) ''मुख्य कार्यपालक'' से,—

(i) आरंभिक अवधि के दौरान, धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ii) आरंभिक अवधि के पश्चात्, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ;

(1ङ) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक'' से धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ;

(च) ''कंपनी अधिनियम'' से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है ;

(छ) ''न्यायालय'' से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (ख) में यथापरिभाषित ''न्यायालय'' अभिप्रेत है ;]

(2) "विविध बीमाकर्ता" से ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो नियंत्रित कारबार के साथ ही किसी अन्य प्रकार का बीमा कारबार चला रहा है ;

(3) "नियंत्रित कारबार" से—

(i) ऐसे किसी बीमाकर्ता की दशा में, जो बीमा अधिनियम की धारा 2 खण्ड (9) के उपखण्ड (क) (ii) या उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट है तथा जीवन बीमा कारबार चलाता है—

---

[1] जुलाई, 1956, अधिसूचना सं०का०नि०आ० 1450, तारीख 26 जून, 1956 के लिए भारत का राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, पृ० 1531 देखें ।

यह अधिनियम—

(i) 1963 विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा दादरा और नागर हवेली पर ;

(ii) 1963 विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीव पर ;

(iii) 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी पर ;

विस्तारित किया गया ।

[2] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 129 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) जहां कि वह किसी अन्य प्रकार का बीमा कारबार नहीं चलाता है, वहां उसका सब कारबार,

(ख) जहां कि वह किसी अन्य प्रकार का बीमा कारबार भी चलाता है, वहां वह सब कारबार, जो उसके जीवन बीमा कारबार से अनुलग्न है,

(ग) जहां कि बीमा अधिनियम के अधीन साधारण बीमा कारबार के सम्बन्ध में किए गए उसके रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र 1956 की जनवरी के 19वें दिन को छह मास से अधिक की कालावधि तक पूर्णतः रद्द रहा है, वहां उस का सब कारबार ;

(ii) ऐसे किसी अन्य बीमाकर्ता की दशा में, जो बीमा अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (9) में विनिर्दिष्ट है, तथा जीवन बीमा कारबार चला रहा है,—

(क) जहां कि वह भारत में किसी अन्य प्रकार का बीमा कारबार नहीं चलाता है, वहां भारत में उसका सब कारबार,

(ख) जहां कि वह भारत में किसी अन्य प्रकार का बीमा कारबार भी चलाता है, वहां भारत में वह सब कारबार, जो उसके जीवन बीमा कारबार से अनुलग्न है,

(ग) जहां कि बीमा अधिनियम के अधीन भारत में साधारण बीमा कारबार के सम्बन्ध में किए गए उसके रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र 1956 की जनवरी के 19वें दिन को छह मास से अधिक की कालावधि तक पूर्णतः रद्द रहा है, वहां भारत में उसका सब कारबार,

अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण—किसी बीमाकर्ता की बाबत यह बात है कि वह जीवन बीमा कारबार से भिन्न किसी अन्य प्रकार के बीमा कारबार को नहीं चलाता है, उस दशा में कही जाती है जिसमें कि वह जीवन बीमा कारबार के अतिरिक्त केवल पूंजी-मोचन कारबार या निश्चित वार्षिकी कारबार या दोनों चलाता है, और "उसके जीवन बीमा कारबार से अनुलग्न कारबार" पद का अर्थ उपखण्ड (i) और (ii) में तद्नुसार ही लगाया जाएगा,

(iii) बीमा अधिनियम की धारा 65 में यथापरिभाषित क्षेमदा सोसाइटी की दशा में, उसका सब कारबार,

(iv) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की दशा में, धारा 44 के विनिर्दिष्ट अपवादों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा चलाया गया सब जीवन बीमा कारबार,

अभिप्रेत है ।

(4) "निगम" से धारा 3 के अधीन स्थापित भारत का जीवन बीमा निगम अभिप्रेत है ;

[1][(4क) ''निदेशक'' से धारा 4 के अधीन नियुक्त या नामनिर्दिष्ट या उस रूप में समझा गया निदेशक अभिप्रेत है ;

(4ख) निगम के संबंध में ''वित्तीय विवरण'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(i) वित्तीय वर्ष के अंत में तुलन पत्र ;

(ii) वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा ;

(iii) वित्तीय वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण;

(iv) साम्या में परिवर्तनों का विवरण, यदि लागू हो, ; और

(v) उपखंड (i) से उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज से उपाबद्ध कोई स्पष्टीकारक टिप्पण या उसका भागरूप ;

(4ग) ''पूर्णतया तनुकृत आधार'' से ऐसे आधार पर केंद्रीय सरकार की प्रतिशत धृति के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा धृत शेयरों की कुल संख्या अभिप्रेत है जिन्हें निगम के ऐसे कुल शेयरों की संख्या के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है जो तब बकाया होंगे, जब संपरिवर्तन के सभी संभव स्रोतों का उपयोग किया जाता है ;

(घ) ''स्वतंत्र निदेशक'' से धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (च) में निर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशक अभिप्रेत है ;

(4ङ) ''आरंभिक अवधि'' से तीन वर्ष की वह अवधि अभिप्रेत है, जिसकी गणना उस तारीख से की जाएगी, जिसको वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 121 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ;]

(5) "बीमा अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है ;

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 129 द्वारा अंत:स्थापित ।

(6) "बीमाकर्ता" से बीमा अधिनियम में यथापरिभाषित ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो भारत में जीवन बीमा कारबार चलाता है और इसके अन्तर्गत बीमा अधिनियम की धारा 65 में यथापरिभाषित सरकार तथा क्षेमदा सोसाइटी आती है ;

[1][(6) "प्रबंध निदेशक" से धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है;]

(7) "सदस्य" से निगम का सदस्य अभिप्रेत है ;

[1][(7) ''सदस्य'' से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिप्रेत है जो निगम के शेयर धारण करता है और जिसका नाम धारा 5ग की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रखे गए सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट हैं ;

(7क) ''नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति'' से धारा 19ख के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(7ख) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;]

(8) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

[1][(8क) ''विशेष संकल्प'' से कोई ऐसा संकल्प अभिप्रेत है, जिसके लिए उसे विशेष संकल्प के रूप में उसी को प्रस्तावित करने के आशय को साधारण बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को दी गई सूचना में सम्यक् रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है और संकल्प के पक्ष में सदस्यों द्वारा दिए गए मतों की संख्या से, यदि कोई है, तीन गुना से कम नहीं है, जो संकल्प के विरुद्ध डाले गए हैं ;]

(9) "अधिकरण" से धारा 17 के अधीन गठित तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी मामले के संबंध में अधिकारिता रखने वाला अधिकरण अभिप्रेत है ;

(10) ऐसे अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं और बीमा अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

[1][(10क) जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में उनके विरुद्ध न हो, सभी अन्य शब्दों और पदों, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) में या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित हैं, के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उनके उक्त अधिनियमों में हैं ।]

अध्याय 2

भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना

3. भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना और निगमन—(1) ऐसी तारीख[2] से जैसी केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, भारतीय जीवन बीमा निगम नामक निगम की स्थापना की जाएगी ।

(2) निगम इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति को अर्जित करने, धारण करने और इसके व्ययन की शक्ति रखने वाला निगमित निकाय होगा तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी, और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

[3][4. निदेशक बोर्ड— निगम के कार्यकलापों और कारबार का साधारण अधीक्षण निदेश निदेशक बोर्ड में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे सभी कार्य और बातें करेगा जिनका निगम द्वारा प्रयोग किया जाए या की जाएं और जिनका निगम द्वारा साधारण बैठक में इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से किया जाना निदेशित या अपेक्षित न हो ।

(2) निगम का निदेशक बोर्ड निम्नलिखित अठारह से अनधिक निदेशकों से मिलकर बनेगा जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला बोर्ड का अध्यक्ष, जो—

(i) आरंभिक अवधि के दौरान, निगम का पूर्णकालिक निदेशक होगा ; और

(ii) आरंभिक अवधि के पश्चात्, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित या नामनिर्देशित किए जाने वाले गैर-कार्यपालक निदेशकों में से होगा ;

(ख) आरंभिक अवधि के पश्चात् मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला निगम का पूर्णकालिक निदेशक होगा :

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 129 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1 सितम्बर, 1956, देखिए अधिसूचना सं०सा०का०नि० 1937, दिनांक 30 अगस्त, 1956, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1956, भाग 2, खण्ड 3, पृ० 1799.
[3] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 130 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परंतु यह कि जहां आरंभिक अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त नहीं किया जाता है, वहां अध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला व्यष्टिक ऐसी समाप्ति की तारीख से ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा ;

(ग) चार से अनधिक प्रबंध निदेशक, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाए, निगम के पूर्णकालिक निदेशक होंगे ;

(घ) भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के केंद्रीय सरकार का एक अधिकारी जिसका नामनिर्देशन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ;

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला कोई व्यष्टिक, जिसके पास बीमांकिक विज्ञान, कारबार प्रबंध, अर्थशास्त्र, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, बीमा, विधि, जोखिम प्रबंधन में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो या किसी अन्य क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, जो केंद्रीय सरकार की राय में निगम के लिए उपयोगी हो या जो पालिसीधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो ;

(च) जहां निगम की समादत्त साधारण पूंजी में केंद्रीय सरकार से भिन्न सदस्यों की कुल धृति :—

(क) दस प्रतिशत से अनधिक है, एक व्यष्टि ;

(ख) दस प्रतिशत से अधिक है, दो व्यष्टि,

जिनका निर्वाचन, बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे सदस्यों द्वारा और ऐसे सदस्यों में से तथा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किया जाएगा ; और

(छ) नौ से अनधिक ऐसी संख्या में स्वतंत्र निदेशक जिनकी नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफारिश की जाए और जो बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाएं ।

(3) निगम के संबंध में निगम का स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्रता के उसी मानदंड को पूरा करेगा जिसकी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक से कंपनी के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (6) के अधीन पूरा करने की अपेक्षा होती है :

परन्तु ऐसा निदेशक, पूर्वोक्त मानदंड के अतिरिक्त, किसी ऐसे मानदंड को भी पूरा करेगा जो अर्हताओं, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता के संबंध में नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति विरचित करे :

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक निदेशक बोर्ड की पहली बैठक में, जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है और तत्पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब कभी परिस्थितियों में कोई ऐसा परिवर्तन होता है, जो उसकी स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी प्रास्थिति को प्रभावित कर सकता है, एक घोषणा करेगा कि वह इस उपधारा के अधीन स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करता है और वह ऐसी किसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं है जो विद्यमान है या जिसकी युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है जो वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय के साथ और किसी बाहरी प्रभाव के बिना उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी योग्यता को क्षीण कर सकती है या प्रभावित कर सकती है ।

(4) उपधारा (2) के खंड (च) या खंड (छ) के अधीन बोर्ड द्वारा निदेशक के रूप में कोई नियुक्त व्यष्टि अगली वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक या उस अंतिम तारीख तक जिसको वार्षिक साधारण बैठक आयोजित हो जानी चाहिए थी, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, अपना पद धारण करेगा और ऐसी तारीख से परे केवल तभी पद धारण करेगा जब उसकी नियुक्ति का अनुमोदन वार्षिक साधारण बैठक में किया जाता है ।

(5) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यष्टि की निदेशक के रूप में नियुक्ति या नामनिर्देशन से पूर्व, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या नामनिर्देशन या पारिश्रमिक समिति, अपना स्वयं का यह समाधान करेगी कि निदेशक के रूप में ऐसे व्यष्टि का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होगा जिससे उसके द्वारा निदेशक कृत्यों के प्रयोग या उनके पालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है :

परन्तु बोर्ड उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक से भिन्न प्रत्येक निदेशक के संबंध में समय-समय पर स्वयं का यह समाधान करेगा कि उसका ऐसा कोई हित नहीं है :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसा कोई व्यष्टि, जो या जिसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन या निर्वाचन का प्रस्ताव किया गया है और जिसने निदेशक होने के लिए सहमति दे दी है, ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जैसी, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति या बोर्ड अपेक्षा करे ।

(6) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियत तारीख से ही, धारा 4 के अधीन नियुक्त कोई व्यष्टि जो धारा 4क के अधीन ऐसी नियत तारीख से ठीक पूर्व निदेशक होने के लिए या निदेशक बने रहने के लिए पात्र है, निगम के सदस्य का पद—

(i) निगम के अध्यक्ष की हैसियत में पद धारण किया है, को उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन निदेशक और अध्यक्ष समझा जाएगा ;

(ii) निगम के प्रबंध निदेशक की हैसियत में पद धारण किया है, को उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन निदेशक और प्रबंध निदेशक समझा जाएगा ;

(iii) और जो भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून केंद्रीय सरकार का कोई अधिकारी है, को उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक समझा जाएगा ;

(iv) और जो ऐसी अवधि के लिए पद पर रहा है जो खंड (i), खंड (ii) और खड (iii) में निर्दिष्ट अन्य सदस्यों से भिन्न सदस्यों में सबसे अधिक अवधि के लिए पद पर रहा है, को उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक समझा जाएगा :

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यष्टि उसकी निगम के सदस्य के रूप में नियुक्ति के समय विनिर्दिष्ट पदावधि, यदि कोई हो या तब तक जब तक उपधारा (2) के अधीन ऐसे व्यष्टि के स्थान पर निदेशक की, यथास्थिति, नियुक्ति नहीं की जाती है या नामनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता है, पद धारण नहीं कर लेता है, पद धारण करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसी नियत तारीख से पूर्व धारा 4 के अधीन निगम का गठन करने वाले सदस्यों के सामूहिक निकाय का कोई कृत्य या कार्यवाही को, यथास्थिति, बोर्ड का कृत्य या कार्यवाही समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) धारा 2 के खंड (7) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, "सदस्य" पद से [जैसी वह वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 130 के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान थी] के अधीन गठित निगम में नियुक्त किया गया कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(ख) "नियत तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसको वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 130 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

4क. निदेशक की निरर्हताएं—कोई व्यष्टि निदेशक होने के लिए या नहीं बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि—

(क) वह विकृतचित्त का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ;

(ख) वह अननुमोचित दिवालिया है ;

(ग) उसने दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है ;

(घ) उसे न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, चाहे उसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो या अन्यथा और उसके संबंध में छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और दंडादेश के अवसान की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है :

परन्तु यदि किसी व्यष्टि को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और उसके संबंध में सात वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है तो वह निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होगा ;

(ङ) उसको निदेशक के रूप में निरर्हित करने वाला आदेश किसी न्यायालय या कंपनी अधिनियम की धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा पारित किया गया है ;

(च) उसने, निगम के उसके द्वारा धृत किन्हीं शेयरों के संबंध में किन्हीं मांगों का चाहे एकल रूप या अन्य के साथ संयुक्त रूप से, संदाय नहीं किया है और ऐसी मांग के संदाय के लिए नियत अंतिम दिन से छह मास बीत गए हैं ;

(छ) उसे कंपनी अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन कंपनी का निदेशक होने के कारण कोई निरर्हता लागू होती है, उसके ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ;

(ज) वह धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन व्यष्टिक नामनिर्दिष्ट निदेशक से भिन्न कोई वेतन प्राप्त सरकारी पदाधिकारी है ;

(झ) वह कोई बीमा अभिकर्ता या कोई मध्यवर्ती या कोई बीमा मध्यवर्ती है ;

(ञ) वह निगम या उसकी किसी समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के मुख्य कार्यपालक या प्रबंध निदेशक से भिन्न कोई कर्मचारी है ;

(ट) वह निगम की किसी समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक से भिन्न कोई निदेशक है ;

(ठ) वह निगम की समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी या किसी बीमाकर्ता की किसी नियंत्री कंपनी, या समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी से भिन्न विश्व में कहीं भी जीवन बीमा कारबार चलाने वाले बीमाकर्ता का कोई कर्मचारी या निदेशक या संप्रवर्तक है ;

(ङ) वह बारह मास की अवधि के दौरान बोर्ड से अनुपस्थिति की अनुमति प्राप्त करने के साथ या उसके बिना बोर्ड द्वारा आयोजित सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है :

परन्तु खंड (घ) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट निरर्हताओं का लागू होना जारी रहेगा भले ही दोषसिद्धि या निरर्हता के आदेश के विरुद्ध कोई अपील या याचिका क्यों न फाइल की गई है ।

4ख. निदेशक और ज्येष्ठ प्रबंधन द्वारा हित का प्रकटन (1) प्रत्येक निदेशक, बोर्ड की पहली बैठक में, जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है और तत्पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब कभी पहले से ही किए गए प्रकटनों में कोई परिवर्तन होता है तब वह ऐसे परिवर्तन के पश्चात् आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में, किसी निगमित निकाय में उसके सरोकार या हित, जिसके अंतर्गत शेयर धृति सम्मिलित होगी का ऐसी रीति में प्रकटन करेगा, जो विहित की जाए ।

(2) प्रत्येक निदेशक, जो किसी भी रूप में चाहे प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: निगम की किसी ऐसी संविदा या ठहराव या ऐसी प्रस्तावित संविदा या ठहराव, जो किया गया है या किया जाना है, में कोई सरोकार रखता है या हितबद्ध है—

(क) किसी ऐसे निगमित निकाय के साथ, जिसमें ऐसा निदेशक या किसी अन्य निदेशक के साथ मिलकर ऐसा निदेशक उस निगमित निकाय में दो प्रतिशत से अधिक शेयर धृति धारण करता है या उस निगमित निकाय में संप्रवर्तक, प्रबंधक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या न्यासी है ; या

(ख) किसी फर्म या अन्य अस्तित्व, जिसमें ऐसा निदेशक, यथास्थिति, भागीदार, स्वामी या सदस्य है,

ऐसे बोर्ड या उसकी ऐसी किसी समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें ऐसी संविदा या ठहराव पर विचार-विमर्श किया जाता है या ऐसी संविदा या ठहराव के संबंध में किसी अन्य विचार-विमर्श या चर्चा में भाग नहीं लेगा और बोर्ड या उसकी समिति की बैठक में विचार-विमर्श की दशा में, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के अपने सरोकार या हित की प्रकृति का प्रकटन करेगा :

परन्तु जहां कोई निदेशक, जो ऐसी संविदा या ठहराव करने के समय इस प्रकार सरोकार नहीं रखता है या हितबद्ध नहीं है, वहां वह यदि संविदा या ठहराव करने के पश्चात् सरोकार रखता है या हितबद्ध नहीं है, तो वह अपना सरोकार रखने के या हितबद्ध होने के तुरंत पश्चात् या उसके इस प्रकार सरोकार रखने के या हितबद्ध होने के पश्चात् आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में अपने सरोकार या हित का प्रकटन करेगा ।

(3)उपधारा (2) के अधीन प्रकटन किए बिना निगम के साथ की गई संविदा या ठहराव या किसी निदेशक द्वारा, जो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: संविदा या ठहराव में किसी भी प्रकार से सरोकार रखता है या हितबद्ध है, भाग लेने पर निगम के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाएगा ।

(4)ऐसे कर्मचारी, जिन्हें बोर्ड निगम का ज्येष्ठ प्रबंधन को गठित करने के रूप में विनिर्दिष्ट करे, बोर्ड को सभी तात्विक वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहारों से संबंधित प्रकटन करेंगे, जिनमें उनका ऐसा वैयक्तिक हित है, जिसके निगम के हित के साथ संभावित द्वंद की संभावना हो और बोर्ड ऐसे संव्यवहारों पर, एक नीति तैयार करेगा जिसके अंतर्गत उनके लिए कोई तात्विक अवसीमा सम्मिलित है तथा वह प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार ऐसी रीति का पुनर्विलोकन करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, हित का द्वंद निगम या उसकी किन्हीं समनुषंगियों या सहयुक्त कंपनियों के शेयरों में व्यौहार, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक व्यौहारों से संबंधित है जिनमें ज्येष्ठ प्रबंधन व्यष्टिक या उसके नातेदारों की शेयर धृति आदि है ।

(5)यदि कोई व्यष्टि, जो निदेशक है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उपधारा (4) में निर्दिष्ट कर्मचारी उस उपधारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसा व्यष्टि या कर्मचारी, एक लाख रुपए की धनराशि की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

(6)उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निगम के लिए किसी निदेशक या किसी ऐसे अन्य कर्मचारी जिसने इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी कोई संविदा या ठहराव किया है के विरुद्ध संविदा या ठहराव के परिणामस्वरूप उसे हुई किसी हानि की वसूली के लिए कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी ।

स्पष्टीकरण—धारा 4ख और धारा 4ग के प्रयोजनों के लिए, ''निगमित निकाय'' पद के अंतर्गत कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (11) के अधीन यथापरिभाषित कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई वित्तीय संस्था या कोई अनुसूचित बैंक या किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित पब्लिक सेक्टर उद्यम और व्यक्तियों या व्यष्टियों के निकाय के कोई अन्य निगमित संगम सम्मिलित होंगे ।

4ग. संबद्ध पक्षकार संव्यवहार—(1) बोर्ड की सहमति के बिना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, निगम निम्नलिखित के संबंध में किसी संबद्ध पक्षकार के साथ कोई संविदा या ठहराव करेगा—

(क) किन्हीं माल या सामग्रियों का विक्रय, क्रय या पूर्ति ;

(ख) किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या अन्यथा निपटान या क्रय करना ;

(ग) किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना ;

(घ) किन्हीं सेवाओं का लाभ लेना या देना ;

(ङ) माल, सामग्रियों, सेवाओं या संपत्ति का क्रय या विक्रय करने के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति ;

(च) ऐसे संबद्ध पक्षकार की निगम, उसकी समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी में किसी पद पर नियुक्ति ; और

(छ) निगम की किन्हीं प्रतिभूतियों या उसकी व्युत्पन्नों के अंशदान के लिए हामीदारी :

परन्तु ऐसी कोई संविदा या ठहराव, जिसमें ऐसी धनराशि से अधिक धनराशि अंतर्वलित है, जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, साधारण बैठक में बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कोई सदस्य ऐसी साधारण बैठक में किसी ऐसे संविदा या ठहराव का अनुमोदन करने के लिए मत नहीं देगा, जो निगम द्वारा किया जाए, यदि ऐसा सदस्य संबद्ध पक्षकार है :

परन्तु यह भी कि इस उपधारा में की कोई बात निगम द्वारा ऐसे संव्यवहारों से भिन्न जो संन्निकट आधार पर नहीं है, अपने कारबार के साधारण अनुक्रम में किए गए किन्हीं संव्यवहारों को लागू नहीं होंगे :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के अधीन अनुमोदन की अपेक्षा निगम और निम्नलिखित के बीच किए गए संव्यवहारों को लागू नहीं होगी—

(क) उसके पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी, यदि कोई हो, जिसके वित्तीय विवरण निगम के पास समेकित किए जाते हैं और साधारण बैठक में सदस्यों के समक्ष अंगीकार किए जाने के लिए रखे जाते हैं ;

(ख) किसी सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके बीच हुई संविदा या ठहराव के संबंध में उनका कोई संयोजन ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में,—

(क) ''पद या लाभ का स्थान'' अभिव्यक्ति से कोई ऐसा पद या स्थान अभिप्रेत है,—

(i) जहां ऐसे पद या प्रास्थिति को निदेशक द्वारा धारण किया जाता है, यदि उसको धारण करने वाला निदेशक उसे निगम से उस पारिश्रमिक के रूप में उस पारिश्रमिक के अतिरिक्त कोई ऐसी चीज प्राप्त करता है जिसका वह निदेशक के रूप में वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धियों, कोई भाटक मुक्त आवास या अन्यथा के रूप में पाने का हकदार है ;

(ii) जहां ऐसा पद या प्रास्थिति निदेशक से भिन्न किसी व्यष्टि या किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा धारण किया जाता है, यदि उसे धारण करने वाला व्यष्टि, फर्म, प्राइवेट कंपनी या निगमित निकाय निगम से पारिश्रमिक, वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धियों, भाटक मुक्त आवास या अन्यथा के रूप में प्राप्त करता है ;

(ख) ''संन्निकट संव्यवहार'' पद से दो संबद्ध पक्षकारों के बीच ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है, जिसको इस प्रकार किया गया हो मानो वे संबद्ध न हों जिससे वहां कोई हित का टकराव नहीं होता हो ।

(2) बोर्ड संबंधित पक्षकार संव्यवहारों की तात्विकता और संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के साथ व्यौहार करने संबंधी, एक नीति तैयार करेगा जिसके अंतर्गत स्पष्ट अवसीमाएं है और ऐसी नीति का प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनर्विलोकन करेगा और उसे अद्यतन करेगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार को तात्विक माना जाएगा यदि किए जाने वाले संव्यवहार की रकम व्यष्टिक रूप से या किसी वित्त वर्ष के दौरान किए गए पूर्व संव्यवहारों को एक साथ मिलाकर उसके अंतिम बार संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निगम के वार्षिक, समेकित आवर्त के ऐसे प्रतिशत से अधिक होती है, जो इस निमित्त प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी विनियम में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक संविदा या ठहराव ऐसी संविदा या ठहराव करने के लिए न्यायोचित्य के साथ सदस्यों को बोर्ड द्वारा की जाने वाली रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) जहां कोई संविदा या ठहराव किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा बोर्ड की सहमति अभिप्राप्त किए बिना या उपधारा (1) के अधीन साधारण बैठक में संकल्प द्वारा अनुमोदन के बिना किया जाता है और यदि, उसका, यथास्थिति, बोर्ड या सदस्यों द्वारा उस तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, जिसको ऐसी संविदा या ठहराव किया गया था, अनुसमर्थन नहीं किया जाता है, तो ऐसी संविदा या ठहराव, यथास्थिति, बोर्ड या सदस्यों के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा और यदि संविदा या ठहराव किसी निदेशक के संबद्ध पक्षकार के साथ किया जाता है या उसे किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया जाता है तो संबंधित निदेशक निगम को उसके द्वारा उपगत किसी हानि के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे ।

(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम को, किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध, जिसने ऐसी संविदा या ठहराव के परिणामस्वरूप उसे हुई किसी हानि की वसूली के लिए इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी किसी संविदा या ठहराव के लिए कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी ।

(6) निगम का कोई निदेशक या कोई अन्य कर्मचारी, जिसने इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई संविदा या ठहराव किया था या उसे प्राधिकृत किया था, पच्चीस लाख रुपए तक की धनराशि की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

4घ. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को या उसके समतुल्य व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(2) न्यनिर्णायक अधिकारी, निगम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में की गई शिकायत पर और सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात्, आदेश द्वारा शास्ति के लिए दायी किसी निदेशक या कर्मचारी पर उसकी ओर से किए गए किसी अतिलंघन या उल्लंघन के मद्दे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(3) किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते हुए किसी व्यक्ति को समन करने के लिए और उसे हाजिर कराने के लिए तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करने के लिए और दस्तावेजों या अन्य इलेक्ट्रानिकी अभिलेखों का प्रकटन और उन्हें पेश करने की अपेक्षा करने के लिए किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं और उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई निदेशक या कर्मचारी केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी को जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की पंक्ति से उच्चतर पंक्ति का हो जैसा केन्द्रीय सरकार अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करे न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की उस तारीख से जिसको व्यथित आदेश को व्यष्टि द्वारा प्रति प्राप्त होती है तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त अधिकारी व्यष्टि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अपील किए गए आदेश की पुष्टि, उपांतरित या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे या न्यायनिर्णायक अधिकारी को ऐसे निदेशों के साथ, जो वह ठीक समझे, मामले को निपटान के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा ।

(5) जब निगम का निदेशक या कर्मचारी, जो पहले से ही इस अधिनियम के उपबंधों के किन्हीं उल्लंघन या अतिलंघन के लिए इस अधिनियम के अधीन शास्ति का भागी रहा है, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पुन: ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा उल्लंघन या अतिलंघन करता है तो वह दूसरे या पश्चातवर्ती उल्लंघन या अतिलंघन के लिए उसके लिए उपबंधित शास्ति की दुगुनी रकम के लिए दायी होगा ।]

[1][**5. निगम की पूंजी**—(1) निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी पच्चीस हजार करोड़ रुपए होगी जो दस रुपए प्रत्येक के दो हजार पांच सौ करोड़ शेयरों में विभाजित की जाएगी :

परन्तु केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत शेयर पूंजी की वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 131 के प्रवृत होने से ठीक पूर्व निगम की समादत्त पूंजी की रकम से अन्यून ऐसी रकम में वृद्धि या कमी कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे :

परन्तु यह और कि निगम, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, शेयरों के अभिहित या अंकित मूल्य का समेकन या उसमें कमी कर सकेगी, प्राधिकृत शेयर पूंजी को साधारण शेयर पूंजी या साधारण और अधिमानी शेयर पूंजी के संयोजन में विभाजित कर सकेगी और शेयरों के अभिहित या अंकित मूल्य को ऐसे मूल्य में विभाजित कर सकेगी, जो निगम विनिश्चय करे ।

(2) निगम, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से केंद्रीय सरकार द्वारा निगम को उपबंधित समादत्त साधारण पूंजी के प्रतिफलस्वरूप वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 131 के प्रारंभ होने से पूर्व साम्या शेयर जारी करेगा ।

(3) निगम की शेयर पूंजी साम्या शेयरों और अधिमानी शेयरों से मिलकर बनेगी जो पूर्णत: संदत्त या भागत: संदत्त हो सकेंगे :

परन्तु बोर्ड, भागत: समादत्त शेयरों और ऐसे भागत: समादत्त शेयरों के संदाय की मांग के निबंधनों को अवधारित कर सकेगा ।

(4) निगम, समय-समय पर केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अपनी जारी की गई शेयर पूंजी को चाहे, पब्लिक इश्यू या राइट्स इश्यू या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या साधारण शेयर धृत करने वाले विद्यमान सदस्यों को बोनस शेयरों के निर्गम या शेयर आधारित कर्मचारी फायदा स्कीमों के अनुसरण में कर्मचारियों को शेयर जारी करके या निगम के जीवन बीमा पालिसी धारकों को शेयर जारी करके या अन्यथा बढ़ा सकेगा :

परन्तु केंद्रीय सरकार पूर्णत: तनुकृत आधार पर,—

(क) सभी समयों पर इक्यावन प्रतिशत से अन्यून निगम की निर्गमित साधारण पूंजी को धारण करेगी ;

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 131 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) केंद्रीय सरकार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को शेयरों के प्रथम निर्गमन की तारीख को पांच वर्ष की अवधि के दौरान, निगम को जारी की गई साधारण शेयर पूंजी कम से कम पचहत्तर प्रतिशत से धारण करेगी :

परंतु कोई शेयर राइट्स इश्यु के रूप में से भिन्न तब तक जारी नहीं किए जाएंगे, जब तक विशेष संकल्प द्वारा, ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, जहां धारा 23क की उपधारा (1) के दूसरे और तीसरे परंतुक के उपबंध लागू होते हैं, प्राधिकृत न किया जाए :

परंतु यह भी कि निगम के जीवन बीमा पालिसी धारकों को शेयरों का जारी करना अधिमानी आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से नहीं किया जाएगा ।

(5) जहां निगम प्रीमियम पर चाहे नकदी के लिए या अन्यथा शेयरों का निर्गमन करता है, वहां उन शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम की कुल रकम के समतुल्य धनराशि को शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किया जाएगा और उपधारा (6) में यथाउपबंधित के सिवाय उपधारा (7) और उपधारा (8) के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो शेयर प्रीमियम खाता निगम का समादत्त शेयर पूंजी हो ।

(6) निगम उपयोजन द्वारा उपधारा (5) में निर्दिष्ट शेयर प्रीमियम खाते का निम्नलिखित के लिए,—

(क) निगम के सदस्यों को जारी करने, पूर्णतया समादत्त बोनस शेयरों के रूप में अनिर्गमित शेयरों के लिए ;

(ख) निगम के शेयरों या डिबेंचरों के किसी निर्गमन के व्ययों को या इन पर संदत्त कमीशन या उस पर अनुज्ञात बट्टे को अपलिखित करने में ;

(ग) निगम के किन्हीं मोचनीय अधिमानी शेयरों के या किन्हीं डिबेंचरों या किन्हीं प्रतिभूतियों के मोचन पर संदेय प्रीमियम का उपबंध करने में ; या

(घ) उसके स्वयं के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के क्रय के लिए,

उपयोजन किया जा सकेगा ।

(7) निगम, विशेष संकल्प द्वारा अपने समादत्त साधारण शेयर पूंजी को निम्नलिखित रीति में कम कर सकेगा :—

(क) निगम द्वारा आशयित कटौती की प्रत्येक सदस्य और लेनदारों के ऐसे वर्ग या वर्गों को पूर्व सूचना, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) समिति का गठन ऐसे अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या अधिकरण का अध्यक्ष रहा है और ऐसे दो से अनधिक स्वतंत्र विशेषज्ञों से मिलकर बनेगी जिन्हें बोर्ड उन अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, पर विचार करने के लिए जो आशयित कटौती के संबंध में खंड (क) में निर्दिष्ट सदस्यों और लेनदारों द्वारा किए जाएं और बोर्ड को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने लिए नियुक्त करे ; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा कटौती के लिए सूचना में दिए गए अनुसार या ऐसे उपांतरणों सहित, जैसा बोर्ड आवश्यक समझे, केंद्रीय सरकार को अनुमोदन के लिए सिफारिशें करना ।

(8) निगम, उपधारा (7) के अधीन शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपनी साधारण शेयर पूंजी को—

(क) ऐसी असमादत्त शेयर पूंजी के संबंध में, अपने साधारण शेयरों पर किसी दायित्व को निर्वापित करके या कम करके ; या

(ख) अपने ऐसे किन्हीं समादत्त साम्या शेयरों, ऐसे किसी समादत्त साधारण शेयर पूंजी के संबंध में किसी दायित्व को निर्वापित करके या कम करके या किए बिना रद्द करना, जो या तो खो गए हैं या किन्हीं उपलब्ध आस्तियों द्वारा उन्हें व्यपदिष्ट नहीं किया गया है ; या

(ग) अपने किन्हीं समादत्त साम्या शेयरों, किसी समादत्त साम्या शेयर पूंजी के संबंध में किसी दायित्व को निर्वापित करके या कम करके या किए बिना चुकाना, जो निगम की मांग से अधिक हों ।

(9) तत्समय किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) व्यक्तियों के ऐसे विभिन्न प्रवर्गों के संबंध में, जिनके पक्ष में कोई निर्गमकर्ता प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर, किसी पब्लिक इश्यू के संबंध में, आरक्षण कर सकेगा, वहां निगम वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 131 के प्रारंभ होने से पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय, अपने जीवन बीमा पालिसी धारकों के पक्ष में, इश्यू की राशि में से प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दस प्रतिशत की सीमा तक ऐसे पब्लिक इश्यू के लिए आरक्षित प्रवर्गों में से एक के रूप में आरक्षण कर सकेगा :

परन्तु ऐसे किसी पालिसी धारक को साधारण शेयरों के आबंटन का मूल्य दो लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम से अधिक नहीं होगा, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु यह और कि पालिसी धारक के आरक्षित भाग में न्यून अभिदाय की दशा में, न्यून अभिदाय भाग पहले परन्तुक में निर्दिष्ट मूल्य से अधिक किसी पालिसी धारक को कुल आबंटन जो पांच लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम से अधिक नहीं होगा, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, आनुपातिक आधार पर आबंटित किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे पालिसी धारकों को, जिनके पक्ष में इस उपधारा के अधीन कोई आरक्षण किया गया है, ऐसी कीमत पर शेयरों की प्रस्थापना की जा सकेगी, जो उस कीमत, जिस पर आवेदकों के अन्य प्रवर्ग को लोक साधारण की शुद्ध प्रस्थापना की जाती है, का दस प्रतिशत अधिक कीमत से कम नहीं होगी ;

(ख) लोक साधारण के लिए प्रारंभिक प्रस्थापना के माध्यम से पब्लिक इश्यू के संबंध में, संप्रवर्तक के न्यूनतम अभिदाय की संगणना के लिए अपात्रता के संबंध में, केंद्रीय सरकार द्वारा धारित निगम के सभी साम्या शेयरों, जिनके अंतर्गत ऐसी पब्लिक प्रस्थापना के खुलने से पूर्ववर्ती तीन वर्षों की अवधि के दौरान अर्जित सभी शेयर भी हैं, जो किसी बोनस इश्यू या अन्यथा के पारिणामिक हैं, ऐसी संगणना के लिए पात्र होंगे ;

(ग) लोक साधारण के लिए प्रारंभिक प्रस्थापना के माध्यम से पब्लिक इश्यू के संबंध में, लोक साधारण को विक्रय के लिए ऐसे शेयरों की प्रस्थापना हेतु शर्त के रूप में न्यूनतम धृति अवधि के लिए विक्रेताओं द्वारा समादत्त साम्या शेयर को धारण करने की अपेक्षा करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा धारित निगम के सभी पूर्णतया समादत्त साधारण शेयर विक्रय हेतु ऐसी प्रस्थापना के लिए पात्र होंगे :

परंतु प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी विनियम के अधीन रहते हुए निगम द्वारा आस्तियों के पुनःमूल्यांकन के प्रति या पुनःमूल्यांकन आरक्षितियों के उपयोजन द्वारा, या वसूल न किए गए लाभों से जारी शेयर, संप्रवर्तक के न्यूनतम अभिदाय की संगणना के लिए और आरंभिक लोक साधारण प्रस्थापना के माध्यम से पब्लिक इश्यु के संबंध में विक्रय की प्रस्थापना के लिए पात्र नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—उन शब्दों और पदों का जो इस उपधारा में प्रयुक्त हैं, जिन्हें इस अधिनियम में या बीमा अधिनियम या कंपनी अधिनियम में परिभाषित नहीं है, उस सीमा तक जो इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध नहीं है क्रमश: वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पूंजी के निर्गम और प्रकटन अपेक्षाओं के संबंध में बनाए गए विनियमों में उनका है ।

(10) निगम अपने कारबार की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु निधियों को जुटाने के प्रयोजन के लिए बंधपत्रों, डिबेंचरों, टिप्पणों, वाणिज्यिक कागजों और अन्य ऋण लिखतों सहित अन्य प्रतिभूतियों को जारी कर सकेगा ।

5क. शेयरों की अंतरणीयता—(1) उपधारा (2) और उपधारा (3) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, निगम के शेयर निर्मुक्त रूप से अंतरणीय होंगे :

परन्तु शेयरों के अंतरण के संबंध में दो या अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया कोई ठहराव संविदा के रूप में प्रवर्तनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, केंद्रीय सरकार को उसके द्वारा निगम में धारित किन्हीं शेयरों का अंतरण करने के लिए हकदार नहीं बनाएगी यदि ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप, उसके द्वारा धारित शेयर पूर्णतया तनुकृत आधार पर, निगम की निर्गमित साधारण शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम रह जाएंगे ।

(3) केंद्रीय सरकार से भिन्न कोई व्यक्ति, जो व्यष्टिक रूप से या ऐसे व्यक्ति के साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ या संघटकों के समूह के साथ निगम की प्रोदभूत साम्या शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक या ऐसे उच्चतर प्रतिशत में, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, साम्या शेयर धारण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "समूह" पद का वही अर्थ होगा, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) में उसका है ;

(ख) "सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों" पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा शेयरों के अर्जन और प्रबंध ग्रहण करने के संबंध में बनाए गए विनियमों में उसका है ।

5ख. सदस्यों का रजिस्टर, आदि—(1) निगम ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा और उन्हें बनाए रखेगा, अर्थात् :—

(क) सदस्यों का रजिस्टर, जिसमें भारत में या भारत से बाहर निवास करने वाले प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित साधारण और अधिमानी शेयरों के प्रत्येक वर्ग को पृथक् रूप से उपदर्शित किया जाएगा ;

(ख) डिबेंचर धारकों का रजिस्टर ; और

(ग) किसी अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए रखे गए प्रत्येक रजिस्टर में उसमें सम्मिलित नामों की अनुक्रमणिका सम्मिलित होगी ।

(3) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 11 के अधीन किसी निक्षेपागार द्वारा बनाए रखे गए फायदाग्राही स्वामियों का रजिस्टर और अनुक्रमणिका को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्समानी रजिस्टर और अनुक्रमणिका समझा जाएगा ।

(4) किसी न्यास का कोई नोटिस, चाहे वह स्पष्ट, विवक्षित या रचनात्मक हो, सदस्यों के रजिस्टर से प्रविष्ट नहीं किया जाएगा या वह निगम द्वारा प्राप्य नहीं होगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी निक्षेपागार को, फायदाग्राही स्वामियों की ओर से रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 5ग के प्रयोजनों के लिए, "फायदाग्राही स्वामी", "निक्षेपागार" और "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" पदों का वही अर्थ होगा, जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22)की धारा 2 की उपधारा (1) के क्रमश: खंड (क), खंड (ङ) और खंड (ञ) में उनका है ।

5ग. शेयरों में फायदाग्राही हित के संबंध में घोषणा— जहां किसी व्यक्ति के नाम को निगम के सदस्यों के रजिस्टर में निगम में शेयरों के धारक के रूप में प्रविष्ट किया गया है किंतु जो ऐसे शेयरों में फायदाग्राही हित धारण नहीं करता है तो वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 89 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किया जाए, निगम को एक घोषणा करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी, जो ऐसे शेयरों में फायदाग्राही हित को धारण करता है ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो निगम के शेयरों में कोई फायदाग्राही हित धारण करता है या उसका अर्जन करता है, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 89 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किया जाए, निगम को एक घोषणा करेगा, जिसमें उसके हित की प्रकृति, उस व्यक्ति की विशिष्टियां, जिसके नाम पर निगम की बहियों में शेयर रजिस्ट्रीकृत है और ऐसी अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी, जो उक्त धारा के अधीन विहित की जाएं ।

(3) जहां निगम के शेयरों में फायदाग्राही हित में कोई परिवर्तन होता है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट फायदाग्राही स्वामी, ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, निगम को ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए, जिन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 89 के अधीन विहित किया जाए, एक घोषणा प्रस्तुत करेगा ।

(4) ऐसे किसी शेयर, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन कोई घोषणा करना अपेक्षित है किंतु जिसे फायदाग्राही स्वामी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, के संबंध में कोई भी अधिकार, उसके द्वारा या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी शेयर में फायदाग्राही हित के अंतर्गत प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, किसी संविदा, ठहराव के माध्यम से या अन्यथा किसी अकेले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के साथ निम्नलिखित करने का कोई अधिकार या हकदारी भी होगी,—

(क) ऐसे शेयर से जुड़े किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करना या प्रयोग करवाना ; या

(ख) ऐसे शेयर के संबंध में किसी लाभांश या किसी अन्य संवितरण को प्राप्त करना या उसमें भाग लेना ।

(6) कोई व्यष्टि, जो अकेले या इकठ्ठे कार्य करते हुए या एक या अधिक व्यक्तियों के माध्यम से निगम के शेयरों में पच्चीस प्रतिशत या किसी ऐसे अन्य प्रतिशत, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 90 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किया जाए, फायदाग्राही हितों को धारण करता है या प्रयोग करने के अधिकार या निगम (जिसे इसमें इसके पश्चात् "महत्वपूर्ण फायदाग्राही स्वामी" कहा गया है) पर कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (27) में यथा परिभाषित किसी महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण का वास्तविक रूप में प्रयोग करता है, ऐसी रीति में और फायदाग्राही हित या अधिकारों के अर्जन और उनके किसी परिवर्तन की ऐसी अवधि के भीतर, जो कंपनी अधिनियम की धारा 90 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित की जाए, निगम को एक घोषणा करेगा ।

(7) निगम उपधारा (6) के अधीन व्यष्टियों द्वारा घोषित हित और उसमें हुए परिवर्तनों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें व्यष्टि का नाम, उसकी जन्म-तिथि, पता, निगम में उसके स्वामित्व के ब्यौरे और ऐसे अन्य ब्यौरे सम्मिलित होंगे, जिन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 90 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किया जाए ।

5घ. शेयरों का प्रतिभूतियां होना प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम के शेयरों को अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित प्रतिभूतियों के रूप में समझा जाएगा ।

5ङ. रजिस्ट्रीकृत सदस्यों का नामांकन करने का अधिकार—(1) प्रत्येक व्यष्टि रजिस्ट्रीकृत सदस्य, किसी भी समय, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे किसी व्यष्टि को नामांकित कर सकेगा, जिसमें ऐसे सदस्य की मृत्यु की दशा में शेयरों में उसके सभी अधिकार निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां शेयर एक या अधिक व्यष्टि के नाम में संयुक्त रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं, वहां संयुक्त धारक इकठ्ठे ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे किसी व्यष्टि को नामांकित कर सकेंगे, जिसमें ऐसे सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में शेयरों में उनके सभी अधिकार निहित हो जाएंगे ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी विन्यास में, चाहे वह वसीयती या अन्यथा हो, जहां शेयरों के संबंध में कोई नामांकन किया जाता है और जो नामनिर्देशिती में शेयरों के निहित करने के अधिकार को प्रदत्त किया जाना तात्पर्यित है वहां ऐसा नामनिर्देशिती, यथास्थिति, सदस्य की मृत्यु या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु पर, यथास्थिति, सदस्य या सभी संयुक्त धारकों के ऐसे शेयरों के संबंध में सभी अधिकारों का हकदार बन जाएगा और अन्य सभी व्यक्तियों को तब तक विवर्जित किया जाएगा जब तक कि नामनिर्देशन को नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में परिवर्तित या रद्द न कर दिया जाए ।

(4) जहां नामनिर्देशिती अप्राप्तवय है वहां शेयरों के रजिस्ट्रीकृत व्यष्टि धारक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह नामनिर्देशन द्वारा ऐसी रीति में, जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी व्यक्ति को इस रूप में नामनिर्देशित कर सके, जो उसकी मृत्यु की दशा में नामनिर्देशन व्यक्ति की अल्पव्यता के दौरान शेयरों का हकदार होगा ।]

अध्याय 3

निगम के कृत्य

6. निगम के कृत्य—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, चाहे भारत में अथवा उसके बाहर जीवन बीमा कारबार चलाना निगम का साधारण कर्तव्य होगा तथा निगम इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि जीवन बीमा कारबार समुदाय को अधिकतम प्रलाभ प्रदान करने वाले रूप में विकसित हो ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम को यह शक्ति प्राप्त होगी कि :—

(क) वह पूंजी-मोचन कारबार, निश्चित-वार्षिकी कारबार या जहां तक कि पुनर्बीमा कारबार जीवन बीमा कारबार से अनुलग्न है, वहां तक ऐसा पुनर्बीमा कारबार चलाए,

(ख) केन्द्रीय सरकार ने यदि इस निमित्त कोई नियम बनाए हों तो उनके अधीन रहते हुए निगम की निधियों को ऐसी रीति से जैसी निगम ठीक समझे, वह विनिहित करे तथा विनिधान के लिए जो कोई संपत्ति प्रतिभूति के रूप में पुरोधृत की गई है जब तक कि उसके व्ययन के लिए उचित अवसर न आए तब तक के लिए उसे अपने हाथ में ले लेने और उसका प्रशासन करने के सहित ऐसी पूरी कार्यवाही करे जैसी किसी विनिधान की संरक्षा अथवा आपन के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो,

(ग) वह अपने कारबार के प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करे,

(घ) यदि भारत के बाहर चलाए जाने वाला संपूर्ण जीवन बीमा कारबार अथवा उसका कोई भाग किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को अन्तरित करना निगम के हितों की दृष्टि से समीचीन है, तो उसे ऐसे अंतरित करे,

(ङ) वह किसी जंगम अथवा स्थावर संपत्ति की प्रतिभूति पर अथवा अन्यथा धन अग्रिम तौर पर या उधार दे,

(च) वह ऐसी रीति में तथा ऐसी प्रतिभूति पर, जिसे निगम ठीक समझे, कोई धन उधार ले अथवा इकट्ठा करे,

(छ) वह स्वतः अथवा किसी समनुषंगी द्वारा कोई अन्य कारबार ऐसी अवस्था में चलाए जिसमें कि ऐसा अन्य कारबार किसी बीमाकर्ता के ऐसे समनुषंगी द्वारा चलाया जा रहा था जिसका नियंत्रित कारबार इस अधिनियम के अधीन निगम को अन्तरित तथा उसमें निहित किया गया है,

(ज) वह कोई अन्य ऐसा कारबार चलाए जिसकी बाबत निगम को यह प्रतीत होता है कि अपने कारबार के संसंग में वह सुविधापूर्वक चलाए जाने योग्य है तथा निगम के कारबार को प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः लाभप्रद बनाने के लिए प्रकल्पित है,

(झ) वह ऐसे सब कार्य करे जो निगम की शक्तियों में से किसी अथवा किन्हीं के उचित प्रयोग के आनुषंगिक अथवा साधक हैं ।

(3) निगम अपने कृत्यों में से किसी या किन्हीं के निर्वहन में यावत्शक्य कारबारी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा ।

[1][**6क. शर्तें आदि अधिरोपित करने की शक्ति**—(1) किसी समुत्थान से धारा 6 के अधीन ठहराव करने में निगम ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जिन्हें वह निगम के हितों के संरक्षण के लिए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उसके द्वारा प्रदत्त आवास का, समुत्थान सर्वोत्तम रूप से प्रयोग कर रहा है, आवश्यक या समीचीन समझे ।

(2) जहां निगम द्वारा किसी समुत्थान के साथ धारा 6 के अधीन कोई ठहराव किया गया है जिसमें ऐसे समुत्थान के एक या अधिक निदेशकों की निगम द्वारा नियुक्ति के लिए उपबन्ध है वहां ऐसा उपबन्ध और उसके अनुसरण में की गई निदेशकों की कोई नियुक्ति, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद या समुथान से संबंधित किसी अन्य लिखत में प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विधिमान्य और प्रभावी होगी और निदेशकों की शेयर अर्हता, आयु-

[1] 1975 के अधिनियम सं० 52 की धारा 41 द्वारा (16-2-1976 से) अंतःस्थापित ।

सीमा, निदेशक-पदों की संख्या, निदेशक के पद से हटाए जाने से सम्बन्धित कोई उपबन्ध और इसी प्रकार की शर्तें जो यथापूर्वोक्त किसी विधि या लिखत में अन्तर्विष्ट हों, यथपूर्वोक्त ठहराव के अनुसरण में निगम द्वारा नियुक्त किसी निदेशक को लागू नहीं होंगी ।

(3) यथापूर्वोक्त नियुक्त कोई निदेशक—

(क) निगम के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा और निगम द्वारा लिखित आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा या उसके स्थान पर कोई व्यक्ति रखा जा सकेगा ;

(ख) केवल निदेशक होने के कारण या किसी ऐसी बात के लिए जिसे निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक किया गया है या करने का लोप किया गया है, या उससे संबंधित किसी बात के लिए किसी बाध्यता या दायित्व के अधीन नहीं होगा ;

(ग) चक्रानुक्रम से निवृत्त नहीं किया जा सकेगा और ऐसे निवृत्त किए जा सकने वाले निदेशकों की संख्या की संगणना करने में उसकी गिनती नहीं ही जाएगी ।]

अध्याय 4

वर्तमान जीवन बीमा कारबार का निगम को अंतरण

7. नियंत्रित कारबार चलाने वाले वर्तमान बीमाकर्ताओं की आस्तियों तथा दायित्वों का अन्तरण—(1) सब बीमाकर्ताओं के नियंत्रित कारबार से अनुलग्न सब आस्तियां और दायित्व नियत दिवस[1] को निगम को अन्तरित तथा उसमें निहित हो जाएंगे ।

(2) बीमाकर्ताओं के नियंत्रित कारबार से अनुलग्न आस्तियों की बाबत यह समझा जाएगा कि विशिष्टतया नकदी अतिशेषों, आरक्षित निधियों, विनिधानों, निक्षेपों और ऐसी संपत्ति में, जो बीमाकर्ता के कब्जे में है, या उससे उद्भूत अन्य सब हितों और अधिकारों और बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार से संबद्ध सब लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों सहित वे सब अधिकार और शक्तियां और सब संपत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, जो उसके नियंत्रित कारबार से अनुलग्न है, उनके अन्तर्गत हैं, और दायित्वों की बाबत यह समझा जाएगा कि उस समय, वर्तमान और बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार से अनुलग्न सब ऋण, दायित्व और बाध्याताएं, चाहे वे कैसी ही क्यों न हों, उसके अन्तर्गत हैं ।

स्पष्टीकरण—"बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार से अनुलग्न आस्तियां" पदावली—

(क) के अन्तर्गत विविध बीमाकर्ता के संबंध में बीमाकर्ता की समादत्त पूंजी का वह भाग या ऐसे भाग के तुल्य आस्तियां हैं जो बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार को आबंटन में तन्निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार दिया गया है या दी गई हैं,

(ख) से किसी सरकार के संबंध में वह रकम अभिप्रेत है जो नियत दिवस को उस कारबार के जमा खाते में पड़ी है ।

(3) जहां ऐसी आस्तियां बीमा अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी न्यास के अथवा बीमा पालिसीधारियों के फायदे के लिए किसी अन्य न्यास के अधीन हैं, वहां यह समझा जाएगा कि आस्तियां निगम में ऐसे किसी न्यास से मुक्त होकर निहित हुई हैं ।

8. भविष्य निधि, अधिवार्षिकी तथा अन्य समान निधियां—(1) जहां कि उस बीमाकर्ता ने, जिसका नियंत्रित कारबार धारा 7 के अधीन किसी निगम को अन्तरित और उसमें निहित किया जाना है, अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए कोई भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि अथवा कोई अन्य समान निधि संस्थापित की है तथा उसके लिए न्यास (जिसे एतत्पश्चात् इस धारा में विद्यमान न्यास के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) स्थापित किया है, वहां किसी ऐसी निधि में नियत दिन को जमा धन, ऐसी निधि की किन्हीं अन्य आस्तियों सहित, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियत दिन को ऐसे किसी न्यास से मुक्त होकर निगम को अन्तरित तथा उसमें निहित हो जाएगा ।

(2) जहां कि ऐसे किसी बीमाकर्ता के सब कर्मचारी धारा 11 के अधीन निगम के कर्मचारी नहीं बनते हैं, वहां किसी ऐसी निधि के जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं धन और अन्य आस्तियां निधि के न्यासधारियों तथा निगम के बीच विहित रीति से प्रभाजित की जाएंगी, तथा ऐसे प्रभाजन के बारे में किसी विवाद की अवस्था में उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) निगम नियत दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उन धनों तथा अन्य आस्तिओं के लिए, जो इस धारा के अधीन उसको अन्तरित तथा उसमें निहित की गई है, वर्तमान न्यासों के उद्देश्यों के इतने समरूप उद्देश्य वाले एक या अधिक न्यास संघटित करेगा, जैसा परिस्थितियों में साध्य हो ।

(4) जहां कि वर्तमान न्यास के सब धन और अन्य आस्तियां इस धारा के अधीन निगम को अन्तरित तथा उसमें निहित की जाती हैं वहां ऐसे न्यास के न्यासधारी वहां तक के सिवाय, जहां तक नियत दिन के पूर्व किए गए अथवा किए जाने से छोड़े गए कार्यों का संबंध है, नियत दिन से न्यास से उन्मोचित हो जाएंगे ।

---

[1] 1 सितम्बर, 1956 ।

9. नियंत्रित कारबार के निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) जब तक कि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित न हो, सब संविदाएं, करार तथा अन्य लिखत, चाहे वह कैसी या कैसे ही क्यों न हों, जो नियत दिन के अव्यवहित पूर्व विद्यमान अथवा प्रभावी है और जिनमें वह बीमाकर्ता, जिनका नियंत्रित कारबार निगम को अन्तरित तथा उसमें निहित किया गया है, पक्षकार है अथवा जो ऐसे बीमाकर्ता के पक्ष में है, वहां तक, जहां तक उनका बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार से संबंध है, यथास्थिति**,** निगम के विरुद्ध अथवा उसके पक्ष में वैसे ही पूर्णतः बलशाली और प्रभावशाली होंगे तथा उनका वैसे ही पूर्णतः और प्रभावी रूप से अनुपालन कराया जा सकेगा या तद्नुकूल कार्य किया जा सकेगा मानो बीमाकर्ता के स्थान में, निगम उसका पक्षकार रहा हो या मानो वे निगम के पक्ष में किए गए या पुरोधृत किए गए हों।

(2) यदि नियत दिन को किसी बीमाकर्ता द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अपील अथवा अन्य विधिक कार्यवाही, चाहे उसका स्वरूप कैसा ही क्यों न हो, लंबित है, तो बीमाकर्ता का कारबार निगम को अन्तरित हो जाने या इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात के कारण से वहां तक, जहां तक वह उसके नियंत्रित कारबार से सम्बद्ध है, उसका उपशमन या विराम नहीं होगा या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वाद, अपील या अन्य कार्यवाही निगम के द्वारा या खिलाफ चालू रखी जा सकेगी तथा प्रवर्तित कराई जा सकेगी।

10. विविध बीमाकर्ताओं विषयक उपबंध—(1) शंकाएं दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि ऐसी किसी अवस्था में, जिसमें कि कोई बीमाकर्ता, जिसका नियंत्रित कारबार इस अधिनियम के अधीन निगम को अन्तरित या उसमें निहित किया गया है, विविध बीमाकर्ता है, तो पूर्ववर्ती धाराओं के उपबंध किसी संपत्ति को जहां तक वह संपत्ति उसके नियंत्रित कारबार से अनुलग्न है वहां तक, तथा अर्जित अधिकारों तथा शक्तियों को, तथा उपगत ऋणों, दायित्वों तथा बाध्यताओं को, तथा बीमाकर्ता द्वारा अपने नियंत्रित कारबार के प्रयोजनों के लिए की गई संविदाओं, किए गए करारों तथा अन्य लिखतों को, तथा उन प्रयोजनों से संबद्ध विधिक कार्यवाहियों को लागू होंगे तथा उन धाराओं के उपबन्धों का अर्थ तद्नुसार किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा—

(क) इस प्रश्न के अवधारण के लिए कि क्या कोई संपत्ति उसके नियंत्रित कारबार से अनुलग्न है अथवा क्या बीमाकर्ता ने अपने नियंत्रित कारबार के प्रयोजनों के लिए कोई अधिकार, शक्तियां, ऋण, दायित्व या बाध्यताएं अर्जित या उपगत की थीं या कोई संविदा, करार या अन्य लिखत की थी, या क्या कोई दस्तावेज उन प्रयोजनों से संबंधित है,

(ख) यथास्थिति**,** समादत्त पूंजी अथवा ऐसी समादत्त पूंजी के तुल्य आस्तियों का आबंटन बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार तथा किसी अन्य कारबार के बीच करने के लिए,

(ग) किसी बीमाकर्ता द्वारा भागतः अपने नियंत्रित कारबार के प्रयोजनों के लिए और भागतः अन्य प्रयोजनों के लिए किए गए किन्हीं करारों के बदले में पृथक् करार अपेक्षित निबन्धनों में करने और उनके पारिणामिक किन्हीं प्रभाजनों तथा क्षति-पूर्तियों के लिए,

(घ) उन पट्टों के पृथक्करण के लिए, जो ऐसी सम्पत्ति के हैं जिसका एक भाग निगम को इस अधिनियम के आधार पर अन्तरित और उसमें निहित हुआ है, और ऐसे पृथक्करण के पारिणामिक प्रभाजनों के लिए,

(ङ) ऐसे किसी बीमाकर्ता द्वारा भागतः अपने नियंत्रित कारबार के प्रयोजनों के लिए और भागतः अन्य प्रयोजनों के लिए उपगत किन्हीं ऋणों, दायित्वों या बाध्यताओं के प्रभाजन और तत्संबंधी वित्तीय समायोजन किए जाने के लिए और ऐसे ऋणों, दायित्व या बाध्यताओं से संबद्ध बंधकों और विल्लंगमों में कोई आवश्यक फेरफार करने के लिए,

(च) किसी भविष्य अथवा अधिवार्षिकी निधि में के या किसी अन्य समरूप निधि में के, जिसे धारा 8 के उपबंध लागू नहीं हैं, धनों और अन्य आस्तियों को किसी बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार के संबंध में नियोजित व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों के मध्य प्रभाजन के लिए,

(छ) पूर्वोक्त विषयों के अनुपूरक अथवा उनके पारिणामिक किन्हीं अन्य विषयों के लिए, जिनके लिए उपबंध किया जाना आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत होता है,

उपबंध कर सकेगी।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम अपने बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष अन्यून तीस दिन के लिए रखे जाएंगे तथा ऐसे उपांतरों के अधीन रहेंगे जो संसद् उस सत्र के, जिसमें वे उस प्रकार रखे जाते हैं, या उसके अव्यवहित पश्चात्वर्ती सत्र के दौरान करे।

(4) जहां कि नियत दिन से छह मास की समाप्ति के पूर्व किसी समय यह प्रश्न इस धारा के अधीन अथवा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन उठता है कि क्या बीमाकर्ता द्वारा कोई संपत्ति अपने नियंत्रित कारबार के प्रयोजनों के लिए धारण अथवा प्रयुक्त की जाती है या की जाती थी, वहां वह प्रश्न विनिश्चय के लिए अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा।

11. बीमाकर्ताओं के वर्तमान कर्मचारियों की सेवा का निगम को अन्तरण—(1) ऐसे बीमाकर्ता का, जिसका नियंत्रित कारबार निगम को अन्तरित तथा उसमें निहित किया गया है, ऐसा प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी, जिसे बीमाकर्ता द्वारा नियत दिन के अव्यवहित पूर्व अपने नियंत्रित कारबार के संबंध में सर्वथा अथवा मुख्यतः नियोजित किया गया था, नियत दिन को और से निगम का कर्मचारी हो

जाएगा और उसमें अपना पद उसी पदावधि तक, उसी पारिश्रमिक पर तथा उन्हीं निबंधनों तथा शर्तों पर और पेंशन तथा उपदान और अन्य विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जिन पर या जिन सहित यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह नियत दिन को धारण करता और जब तक कि और यदि निगम में उसके नियोजन का पर्यवसान नहीं हो जाता या जब तक कि उसका पारिश्रमिक, निबंधन तथा शर्तें निगम द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं की जाती हैं, तब तक वह ऐसे नियोजित बना रहेगा :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगी जिसने निगम का कर्मचारी न बनने का अपना आशय नियत दिन के पूर्व केन्द्रीय सरकार को दी गई लिखित सूचना द्वारा प्रज्ञापित कर दिया है ।

[1][(2) जहां कि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि जिन बीमाकर्ताओं का नियंत्रित कारबार निगम को अन्तरित और निगम में निहित हो गया है, उनके कर्मचारियों के पारिश्रमिक के मापमान तथा उन कर्मचारियों को लागू सेवा संबंधी अन्य निबंधनों और शर्तों में एकरूपता करने के प्रयोजन से यह बात करना आवश्यक है अथवा यह कि निगम और उसके पालिसीधारियों के हितों में यह आवश्यक है कि कर्मचारियों या उनमें से किसी वर्ग को देय पारिश्रमिक में कमी अथवा उन कर्मचारियों को लागू सेवा संबंधी अन्य निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण किया जाए, वहां केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) में अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में अथवा किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में अथवा किसी अधिनिर्णय, व्यवस्थापन या करार में, जो तत्समय प्रवृत्त है, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस पारिश्रमिक और सेवा संबधी उन अन्य निबंधनों और शर्तों में इतनी मात्रा तक और ऐसी रीति से, जैसी वह ठीक समझती है (चाहे कमी करके या अन्यथा) परिवर्तन कर सकेगी और यदि वह परिवर्तन किसी कर्मचारी को प्रतिग्राह्य नहीं है, तो निगम उसके नियोजन का पर्यवसान उसके तीन मास के पारिश्रमिक के बराबर प्रतिकर तब के सिवाय देकर कर सकेगा, जब कि उस कर्मचारी की सेवा संविदा में ऐसे पर्यवसान की लघुतर सूचना के लिए उपबंध किया हुआ है ।]

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन कर्मचारी को देय प्रतिकर किसी पेंशन, उपदान, भविष्य-निधि धन अथवा किसी अन्य फायदे के, जिसका कर्मचारी अपनी सेवा संविदा के अधीन हकदार है, अतिरिक्त होगा और उसे प्रभावित नहीं करेगा ।

(3) यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी बीमाकर्ता का पूर्णकालिक कर्मचारी था अथवा क्या कोई कर्मचारी नियत दिवस के अव्यवहित पूर्व किसी बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार के संबंध में सर्वथा या मुख्यतः नियोजित था तो प्रश्न केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(4) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में, या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, बीमाकर्ता के किसी कर्मचारी की सेवाओं का निगम को अन्तरण किसी ऐसे कर्मचारी को उस अधिनियम या अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर के लिए हकदार नहीं बनाएगा, तथा ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

12. बीमाकर्ताओं के मुख्य अभिकर्ताओं के वर्तमान कर्मचारियों की सेवाओं का कतिपय स्थितियों में निगम को अन्तरण—ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जिन्हें केन्द्रीय सरकार एतन्निमित्त बनाए, किसी बीमाकर्ता के, जिसका नियंत्रित कारबार निगम को अन्तरित तथा उसमें निहित किया गया है, किसी मुख्य अभिकर्ता का ऐसा प्रत्येक पूर्णकालिक वैतनिक कर्मचारी—

(क) जो बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार के संबंध में मुख्य अभिकर्ता द्वारा सर्वथा या मुख्यतः नियोजित किया गया था,

(ख) जिसका वेतन नियत दिन को पांच सौ रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं था, और

(ग) जो नियत दिन के अव्यवहित पूर्व एक वर्ष से अन्यून निरंतर कालावधि से मुख्य अभिकर्ता के नियोजनाधीन था, नियत दिन को तथा उससे निगम का कर्मचारी हो जाएगा तथा धारा 11 के उपबंध यथासम्भव ऐसे कर्मचारी के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे बीमाकर्ता के किसी पूर्णकालिक कर्मचारी के संबंध में लागू होते हैं :

परन्तु यह धारा उन दशाओं के सिवाय लागू नहीं होगी जिनमें कि बीमाकर्ता का मुख्य अभिकर्ता से बीमाकर्ता के साथ हुई संविदा के निबंधनों के अधीन यह अपेक्षित था कि वह बीमाकर्ता के पालिसीधारियों की विहित सेवाएं संपादित करे ।

स्पष्टीकरण—मुख्य अभिकर्ता के उस पूर्णकालिक संबलग्राही कर्मचारी की अवस्था में, जिसकी छटनी मुख्य अभिकर्ता द्वारा 19 जनवरी, 1956 को या उसके पश्चात्, कर दी गई थी, इस धारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो "नियत दिन" शब्दों के स्थान पर "19 जनवरी, 1956" शब्द और अंक रख दिए गए हों ।

13. संपत्ति तथा उससे संबद्ध दस्तावेजों का कब्जा परिदत्त करने का कर्तव्य—(1) जहां कि किसी बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार से अनुलग्न कोई संपत्ति इस अधिनियम के अधीन निगम को अन्तरित तथा उसमें निहित की गई है, वहां—

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में ऐसी कोई संपत्ति हो, संपत्ति को तुरन्त निगम को परिदत्त करेगा,

---

[1] 1957 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा मूल उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति का, जो नियत दिन को ऐसे नियंत्रित कारबार से संबंधित किन्हीं पुस्तकों, दस्तावेजों या अन्य कागज-पत्रों को अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखता है, निगम के प्रति यह दायित्व होगा कि वह उक्त पुस्तकों, दस्तावेजों और कागज-पत्रों का लेखा-जोखा दे और वह उन्हें निगम को अथवा ऐसे व्यक्ति को, जैसा निगम निर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा ।

(2) विशिष्टतः बीमाकर्ता की जीवन बीमा कारबार से संबद्ध वे सब आस्तियां जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बीमा अधिनियम के अधीन या न्यासधारियों द्वारा न्यासाधीन धृत हैं निगम को परिदत्त की जाएंगी ।

(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निगम के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि जो सम्पत्तियां इस अधिनियम के अधीन उसको अन्तरित तथा उसमें निहित की गई हैं उन सबका कब्जा प्राप्त करने के लिए वह सब आवश्यक कार्यवाही करे ।

14. कतिपय स्थितियों में जीवन बीमा की संविदाओं को उपांतरित करने की निगम की शक्ति—जिस बीमाकर्ता का नियंत्रित कारबार निगम को अन्तरित तथा उसमें निहित किया गया है, वैसे किसी बीमाकर्ता की नियत दिन की वित्तीय दशा को ध्यान में रख कर निगम ऐसे बीमाकर्ता द्वारा 19 जनवरी, 1956 के पूर्व की गई जीवन बीमा संविदाओं के अधीन बीमा की रकमों को ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह ठीक समझता है, कम कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई कमी ऐसी योजना के अनुसार की जाने के अतिरिक्त नहीं की जाएगी जो निगम द्वारा एतन्निमित्त तैयार की गई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है ।

15. बीमाकर्ता के कतिपय संव्यवहारों के बारे में अनुतोष चाहने का निगम का अधिकार—(1) जहां कि ऐसे बीमाकर्ता ने, जिसका नियंत्रित कारबार इस अधिनियम के अधीन निगम को अन्तरित और उसमें निहित किया गया है, 19 जनवरी, 1956 के पूर्व पांच वर्षों के अंदर किसी समय—

(क) किसी व्यक्ति को प्रतिफल के बिना कोई संदाय किया है,

(ख) बीमाकर्ता की किसी संपत्ति का प्रतिफल के बिना या अपर्याप्त प्रतिफल पर विक्रय या व्ययन किया है,

(ग) अत्यधिक प्रतिफल पर कोई संपत्ति या अधिकार अर्जित किए हैं,

(घ) कोई करार इस प्रकार किया या परिवर्तित किया है कि बीमाकर्ता द्वारा अत्यधिक प्रतिफल का संदत्त किया जाना या दिया जाना अपेक्षित है,

(ङ) इतने दुर्भारयुक्त प्रकार के किसी अन्य संव्यवहार में प्रविष्ट हुआ है जिससे बीमाकर्ता को प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे से अधिक उसे हानि होती है या उस पर कोई दायित्व अधिरोपित होता है,

(च) उस सूरत में, जिसमें कि वह विविध बीमाकर्ता है, किसी संपत्ति का अन्तरण अपने जीवन विभाग से अपने साधारण विभाग को प्रतिफल के बिना अथवा अपर्याप्त प्रतिफल पर किया है,

तथा वह संदाय, विक्रय, व्ययन, अर्जन, करार या परिवर्तन या अन्य संव्यवहार या अन्तरण प्रत्येक अवस्था में उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार के प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक नहीं था या बीमाकर्ता की ओर से व्यवहारकुशलता की अयुक्तियुक्त कमी से किया गया था, वहां निगम ऐसे संव्यवहार के बारे में अनुतोष के लिए आवेदन अधिकरण से कर सकेगा और जब तक कि अधिकरण अन्यथा निदेश नहीं दे, संव्यवहार के सब पक्षकार आवेदन के पक्षकर बनाए जाएंगे ।

(2) अधिकरण आवेदन के पक्षकारों में से किसी के खिलाफ ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा वह उस मात्रा को, जिस तक वे पक्षकार संव्यवहार के लिए क्रमशः उत्तरदायी थे या उन्होंने इससे फायदा प्राप्त किया था और मामले की सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायसम्मत समझता है ।

(3) जहां कि किसी संव्यवहार के बारे में कोई आवेदन अधिकरण से इस धारा के अधीन किया जाता है और आवेदन का अवधारण निगम के पक्ष में किया जाता है, वहां संव्यवहार के बारे में किन्हीं तद्विशिष्ट दावों को अवधारित करने की अनन्य अधिकारिता अधिकरण की होगी ।

16. नियंत्रित कारबार के अर्जन के लिए प्रतिकर—(1) जहां कि बीमाकर्ता का नियंत्रित कारबार इस अधिनियम के अधीन निगम को अन्तरित और उसमें निहित किया गया है, वहां निगम प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट सिद्धांतों के अनुसार प्रतिकर उस बीमाकर्ता को देगा ।

(2) पूर्वोक्त सिद्धांतों के अनुसार दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम प्रथमतः निगम द्वारा अवधारित की जाएगी, और यदि इस प्रकार अवधारित रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है, तो वह बीमाकर्ता को इस अधिनियम के अधीन उसे देय प्रतिकर को पूर्णतया चुकाने के लिए आफर की जाएगी, और यदि इस प्रकार आफर की गई रकम बीमाकर्ता को प्रतिग्राह्य न हो तो वह मामले का अधिकरण को विनिश्चयार्थ निर्देशन उतने समय के अन्दर करा सकेगा जो इस प्रयोजन के लिए विहित किया जाए ।

17. अधिकरणों का संघटन—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक या अधिक अधिकरण संघटित कर सकेगी और प्रत्येक अधिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से मिलकर गठित होगा जिनमें से एक वह व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, और वह उसका अध्यक्ष होगा ।

(2) जिस प्रश्न का विनिश्चय अधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया जाना है वैसे किसी प्रश्न के अवधारणा में अपनी सहायता करने के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को अधिकरण चुन सकेगा जिसे या जिन्हें जांच के अधीन वाले किसी मामले से संबद्ध किसी विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त है ।

(3) प्रत्येक अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित बातों, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करने तथा उसे हाजिर कराने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने के लिए,

(ख) दस्तावेजों के प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करने के लिए,

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने के लिए,

(घ) साक्षियों की परीक्षा या दस्तावेजों की पड़ताल के लिए कमीशन निकालने के लिए,

सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(4) प्रत्येक अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने तथा अपनी क्षमता के भीतर सब विषयों का विनिश्चय करने की शक्ति प्राप्त होगी, और वह अभिलेख में प्रत्यक्षतः कोई भूल होने की अवस्था में अपने विनिश्चयों में से किसी को पुनर्विलोकित कर सकेगा या उसमें किसी अंकीय या लिपिकीय भूल को शुद्ध कर सकेगा ।

अध्याय 5

प्रबंध

18. कार्यालय, शाखाएं और अभिकरण—(1) निगम का केन्द्रीय कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) निगम निम्नलिखित स्थानों में से प्रत्येक में, अर्थात् मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर तथा मद्रास में एक आंचलिक कार्यालय स्थापित करेगा, और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए ऐसे अन्य आंचलिक कार्यालय भी स्थापित कर सकेगा जैसे वह उचित समझता है ।

(3) प्रत्येक अंचल की सीमाएं ऐसी होंगी जैसी निगम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(4) प्रत्येक अंचल में इतने खण्ड, कार्यालय और शाखाएं स्थापित की जा सकेंगी जितनी आंचलिक प्रबन्धक ठीक समझता है ।

[1][**19. कार्यपालक समिति**—(1) बोर्ड, बोर्ड की एक कार्यपालक समिति का गठन कर सकेगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(i) अध्यक्ष ;

(ii) प्रबंध निदेशक ;

(iii) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक ; और

(vi) चार निदेशक, जिन्हें बोर्ड द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(2) बोर्ड की कार्यपालक समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, जो बोर्ड उसे सौंपे ।

19क. विनिधान समिति—बोर्ड, निगम की निधियों के विनिधान से संबंधित ऐसे कृत्यों के लिए, जिन्हें बोर्ड उसे सौंपे, बोर्ड की विनिधान समिति का गठन करेगा, जो मुख्य कार्यपालक और सात से अनधिक अन्य निदेशकों से मिलकर बनेगी, जिसमें से कम से कम दो निदेशक धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन नियुक्त निदेशकों से भिन्न होंगे :

परन्तु निगम के ऐसे अधिकारियों, जो वित्त, जोखिम, विनिधान और विधि से संबंधित कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही उसके नियुक्त बीमाकंक को भी समिति की प्रत्येक बैठक में आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें बैठक में सुनवाई का अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 24ख के प्रयोजनों के लिए, "नियुक्त बीमाकंक" से ऐसा बीमाकंक अभिप्रेत है, जिसे नियुक्त किए गए बीमांकक के संबंध में बीमा अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बीमांककों के संबंध में बनाए गए विनियमों के अधीन निगम द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया है ।

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 132 द्वारा प्रतिस्थापित ।

19ख. नामांकन और पारिश्रमिक समिति—बोर्ड, बोर्ड की नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा, जो तीन या अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी, जो धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन नियुक्त किए गए निदेशकों से भिन्न निदेशकों में से होंगे और जिनमें से कम से कम आधे ऐसे किसी समय पर स्वतंत्र निदेशकों में से होंगे, जब कार्यालय में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या समिति की सदस्यता के ऐसे अनुपात को गठित करने के लिए पर्याप्त हो :

परन्तु अध्यक्ष को नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा किंतु वह समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा :

परंतु यह और कि निगम द्वारा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अधीन अपने साधारण शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन की दशा में, निगम यह सुनिश्चित करेगा कि नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति में स्वतंत्र निदेशकों का समानुपात इन विनियमों के अधीन यथा उपबंधित अपेक्षाओं के अनुसार होगा ।

(2) नामांकन और पारिश्रमिक समिति,—

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले निदेशक की अर्हताएं, उनके सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता का अवधारण करने के लिए मानदंडों को तैयार करेगी ;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार ऐसे व्यष्टियों की पहचान करेगी, जो उस रूप में निदेशक नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित हैं :

परन्तु व्यष्टियों की पहचान करते समय समिति धारा 19ग की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अपेक्षाओं का सम्यकत: ध्यान रखेगी ;

(iii) बोर्ड को ऐसे किसी व्यष्टि की नियुक्ति और उसे हटाए जाने के संबंध में अपनी सिफारिशें करेगी और अपने कार्यपालन का मूल्यांकन करेगी ; और

(iv) बोर्ड को, धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ङ) या खंड (च) और खंड (छ) के अधीन नामनिर्देशित या नियुक्त किए जाने वाले निदेशकों को आसीन फीस के रूप में संदेय राशि से संबंधित नीति की ऐसी सीमा से अनधिक ऐसी फीस के अध्यधीन सिफारिश करेगी, जो कंपनी अधिनियम के अधीन किसी कंपनी के निदेशक को संदेय आसीन फीस के संबंध में लागू होती है ।

19ग. संपरीक्षा समिति—(1) बोर्ड, बोर्ड की संपरीक्षा समिति का गठन करेगा, जो न्यूनतम तीन निदेशकों से मिलकर बनेगी, जिसमें उस समय स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा, जब कार्यालय में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या संपरीक्षा समिति की सदस्यता के ऐसे अनुपात में गठन करने के लिए पर्याप्त हो :

परन्तु संपरीक्षा समिति में अधिकांश निदेशक, जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है, ऐसे व्यष्टि होंगे, जिनके पास वित्तीय विवरणों का परिशीलन करने और उन्हें समझने का सामर्थ्य हो और कम से कम एक व्यष्टि के पास लेखांकन या संबद्ध वित्तीय प्रबंध में विशेषज्ञता होगी :

परंतु यह और कि निगम द्वारा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी विनियम के अधीन अपने साम्या शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन करने की दशा में, निगम यह सुनिश्चित करेगा कि संपरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों का समानुपात इन विनियमों के अधीन यथा उपबंधित अपेक्षाओं के अनुसार होगा ।

(2) संपरीक्षा समिति, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट निर्देश निबंधनों के अनुसार कार्य करेगी, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) निगम के संपरीक्षकों की नियुक्ति, उनके पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधनों के संबंध में सिफारिशें करने ;

(ख) संपरीक्षकों की स्वतंत्रता और उनके कार्यपालन तथा संपरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता का पुनर्विलोकन और मानीटरी करने ;

(ग) वित्तीय विवरणों की समीक्षा और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करने ;

(घ) निगम के संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए संव्यवहारों का पूर्वानुमोदन करना :

परन्तु संपरीक्षा समिति उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए निगम द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के लिए बहु-प्रयोजनीय अनुमोदन कर सकेगी :

परन्तु यह और कि धारा 4ग में निर्दिष्ट संव्यवहारों से भिन्न किसी संव्यवहार की दशा में और जहां संपरीक्षा समिति संव्यवहार का अनुमोदन नहीं करती है, वहां वह इस संबंध में बोर्ड को अपनी सिफारिशें करेगी :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी संव्यवहार की दशा में, जिसमें अंतर्वलित कोई रकम एक करोड़ रुपए से अनधिक है, जिसे निगम के किसी निदेशक या अधिकारी द्वारा संपरीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त किए बिना किया गया है और जिसे

संपरीक्षा द्वारा संव्यवहार की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अनुसमर्थित नहीं किया गया है, वहां ऐसा संव्यवहार निगम के विकल्प पर संपरीक्षा समिति के अनुमोदन से शून्यकरणीय होगा और यदि ऐसा संव्यवहार किसी निदेशक के संबद्ध पक्षकार के साथ किया गया है या किसी अन्य निदेशक द्वारा उसे प्राधिकृत किया गया है तो संबद्ध निदेशक, निगम की उसके द्वारा उपगत किसी हानि के प्रति क्षतिपूर्ति करेगा ;

(ङ) अंतर-निगम ऋणों और विनिधानों की संवीक्षा करने ;

(च) निगम के उपक्रमों या उसकी आस्तियों का मूल्यांकन करना, जहां-कहीं आवश्यक हो ;

(छ) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंध प्रणालियों का मूल्यांकन करना ;

(ज) पब्लिक प्रस्थापनाओं और संबद्ध विषयों के माध्यम से जुटाई गई निधियों के अंत्य उपयोग की मानीटरी करना ।

(3) संपरीक्षा समिति निगम द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के संबंध में बहुप्रयोजन अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) संपरीक्षा समिति धारा 4ग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट पालिसी के अनुरूप बहुप्रयोजन अनुमोदन प्रदान करने के लिए मानदंड अधिकथित करेगी जिसमें ऐसे संव्यवहारों के संबंध में अनुमोदन भी है, जो पुनरावृत्ति की प्रकृति का है ;

(ख) संपरीक्षा समिति स्वयं का यह समाधान करेगी कि बहुप्रयोजन अनुमोदन की आवश्यकता है और ऐसा अनुमोदन निगम के हित में है ;

(ग) बहुप्रयोजन अनुमोदन निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करेगा, अर्थात् :—

(i) संबंधित पक्षकार के नाम और प्रकृति, कालावधि के संबंध में ब्यौरे और ऐसे संव्यवहारों की अधिकतम रकम जो विहित किए जाएंगे ;

(ii) उपदर्शक आधारिक मूल्य या कीमत में परिवर्तन के लिए फार्मूला, यदि कोई हो, चालू संविदा की, की गई कीमत ; और

(iii) ऐसी अन्य शर्तें, जो संपरीक्षा समिति उचित समझे :

परंतु जहां संबंधित पक्षकार संव्यवहार की आवश्यकता का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है तथा उक्त ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां संपरीक्षा समिति ऐसे संव्यवहारों के लिए उनके प्रतिसंव्यवहार मूल्य के एक करोड़ रुपए से अनधिक होने की शर्त के अधीन रहते हुए बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान कर सकेगी ;

(घ) संपरीक्षा समिति कम से कम त्रैमासिक आधार पर दिए गए प्रत्येक बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के अनुसरण में निगम द्वारा किए गए संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के ब्यौरों का पुनर्विलोकन करेगी ; और

(ङ) बहुप्रयोजनीय अनुमोदन एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होगा और एक वर्ष के अवसान के पश्चात् नए अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।

(4) संपरीक्षा समिति, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, संपरीक्षा की परिधि, जिसके अंतर्गत संपरीक्षकों द्वारा किए गए संप्रेक्षण भी सम्मिलित हैं और वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन पर बोर्ड को उन्हें प्रस्तुत किए जाने से पूर्व संपरीक्षकों की टीका-टिप्पणियों की मांग कर सकेगी तथा वह संपरीक्षकों और निगम के प्रबंधन के साथ किन्हीं संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा कर सकेगी ।

(5) संपरीक्षा समिति के पास उपधारा (2) में निर्दिष्ट मदों के संबंध में किसी विषय या बोर्ड द्वारा उसे विनिर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए, उसके पास बाह्य स्रोतों से वृत्तिक सलाह अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी और उसके पास निगम के अभिलेखों में अंतर्विष्ट जानकारी तक पूर्ण पहुंच होगी ।

(6) निगम के संपरीक्षकों और ऐसे मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, जिन्हें बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, के पास संपरीक्षा समिति की बैठकों में उस समय सुनवाई का अधिकार होगा जब वह संपरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करें ।

19घ. अन्य समितिया— बोर्ड, बोर्ड ऐसी अन्य समितियों का गठन कर सकेगा, जिन्हें वह ऐसे विषयों पर, जो उसे साधारणतया या विशेष रूप से निर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो बोर्ड उन्हें सौंपे, के संबंध में सलाह देना उचित समझे ।**]**

[1]**[20. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक**—(1) मुख्य कार्यपालक को, बोर्ड के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन रहते हुए निगम के संपूर्ण कार्यों के संबंध में प्रबंधन की सारवान् शक्तियां सौंपी जाएंगी ।

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 133 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) मुख्य कार्यपालक निगम के कार्यकलापों के संबंध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो बोर्ड समय-समय पर उसे सौंपे और इस प्रयोजन के लिए वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो बोर्ड द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं :

परन्तु बोर्ड, मुख्य कार्यपालक को अपने ऐसे कर्तव्यों और शक्तियों को सौंप सकेगा या उन्हें प्रत्यायोजित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) प्रत्येक प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो बोर्ड द्वारा या मुख्य कार्यपालक द्वारा उपधारा (2) के अधीन उसे सौंपी या प्रत्यायोजित की जाएं ।

21. निगम केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अनुकूल चलेगा—इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में निगम नीति संबंधी ऐसी बातों में, जिनमें लोकहित अन्तर्ग्रस्त है, ऐसे निदेशों के अनुकूल चलेगा जो केन्द्रीय सरकार उसे लिखित रूप में दे, तथा यदि कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है कि क्या कोई निदेश नीति के ऐसे मामले से, जिसमें लोक हित अन्तर्ग्रस्त है, संबंध रखता है, तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

22. आंचलिक प्रबन्धक—(1) निगम किसी आंचलिक कार्यालय के मामलों तथा कारबार का अधीक्षण तथा निदेशन आंचलिक प्रबन्धक के रूप में ज्ञात होने वाले [1][किसी पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न निगम के किसी कार्मचारी को दे सकेगा, तथा] आंचलिक प्रबन्धक निगम के ऐसे समस्त कृत्यों का पालन करेगा जो उसे आंचलिक कार्यालय की अधिकारिता के अन्दर के क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रत्योयोजित किए जाएं ।

[2]* * * * * * *

(3) निगम प्रत्येक आंचलिक कार्यालय के लिए इतने व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली, जितने वह ठीक समझता है, कर्मचारी-और-अभिकर्ता-सम्बन्ध-समिति विहित रीति से संघटित करेगा और ऐसी प्रत्येक समिति निगम और इसके कर्मचारियों और अभिकर्ताओं के प्रतिनिधियों से ऐसे गठित होगी कि समिति में कर्मचारियों और अभिकर्ताओं के प्रतिनिधियों की संख्या निगम के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी और समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह आंचलिक प्रबन्धक को उन विषयों पर सलाह दे जो निगम के कर्मचारियों तथा अभिकर्ताओं के कल्याण से सम्बन्ध रखते हैं या जिनसे यह सम्भाव्य है कि उनमें और निगम में मैत्री और अच्छे सम्बन्ध बढ़ें और सुनिश्चित हों ।

23. निगम का कर्मचारिवृन्द–(1) निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अपने को समर्थ करने के प्रयोजन के लिए इतने व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगा जितने वह ठीक समझता है ।

(2) जो व्यक्ति निगम द्वारा नियोजित किया गया है अथवा जिसकी सेवाएं इस अधिनियम के अधीन निगम को अन्तरित की गई हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह भारत में कहीं भी सेवा करे ।

[3][**23क. वार्षिक साधारण बैठक और अन्य साधारण बैठकें**—(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे समय पर, जिसे बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, निगम के केंद्रीय कार्यालय में या भारत में ऐसे अन्य स्थान पर, जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार बोर्ड की सिफारिशों पर अनुमति प्रदान करे, सदस्यों की एक साधारण वार्षिक बैठक या अन्य साधारण बैठक आयोजित की जाएगी :

परन्तु निगम की एक वार्षिक साधारण बैठक की तारीख और अगली वार्षिक साधारण बैठक की तारीख के बीच पन्द्रह मास से अधिक का अंतराल नहीं होगा :

परन्तु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई साधारण बैठक केवल तब आयोजित की जाएगी जब निगम में केंद्रीय सरकार से भिन्न ऐसे सदस्य हों, जो मत देने के हकदार हैं :

परन्तु यह भी कि जब तक प्रथम वार्षिक साधारण बैठक या अन्य साधारण बैठक आयोजित नहीं की जाती है तब तक बोर्ड ऐसी बैठक में निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित सभी कृत्यों का पालन करेगा ।

(2) वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे—

(क) धारा 24ख में यथानिर्दिष्ट निगम के वित्तीय विवरणों और धारा 25ख में यथानिर्दिष्ट संपरीक्षक रिपोर्ट, जिसके साथ धारा 24ग में यथा निर्दिष्ट बोर्ड की रिपोर्ट भी लगी होगी, के संबंध में विचार-विमर्श करने और ऐसे सभी अन्य दस्तावेजों के, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है, साथ वित्तीय विवरणों को अंगीकृत करने ;

(ख) धारा 27 के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने और उसे अंगीकृत करने ;

(ग) धारा 28ख की उपधारा (1) के अधीन लाभांश की घोषणा का अनुमोदन करने ;

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 134 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 134 द्वारा लोप किया गया ।

[3] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 135 द्वारा अंत:स्थापित ।

(घ) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन निदेशकों की नियुक्ति का अनुमोदन करने ;

(ङ) धारा 25 की उपधारा (1) और उपधारा (4) के अधीन संपरीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करने और धारा 25 की उपधारा (7) के अधीन उनके पारिश्रमिक को नियत करने ।

(3) प्रत्येक सदस्य वैयक्तिक रूप से या किसी परोक्षी के माध्यम से या किसी सम्यक् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से साधारण बैठक में भाग लेने का हकदार होगा :

परन्तु प्रत्येक निदेशक वैयक्तिक रूप से या इलैक्ट्रानिक माध्यम से साधारण बैठक में भाग लेने का हकदार होगा :

परन्तु यह और कि किसी साधारण बैठक की सभी सूचनाओं और उससे संबंधित अन्य संसूचनाओं को निगम के लिए नियुक्त संपरीक्षक को अग्रेषित किया जाएगा और ऐसा संपरीक्षक, जब तक कि उसे निगम द्वारा छूट प्रदान न की जाए, या तो वैयक्तिक रूप से या ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, जो संपरीक्षक के रूप में अर्हित है, किसी साधारण बैठक में भाग लेगा और उसे ऐसी बैठक में कारबार के ऐसे किसी भाग के संबंध में, जिससे वह संपरीक्षक के रूप में संबंध रखता है, सुनवाई का अधिकार होगा ।

(4) कोई सदस्य, जो मत डालने के लिए हकदार है, किसी साधारण बैठक में या तो वैयक्तिक रूप से या परोक्षी के माध्यम से या किसी सम्यक्त: प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपने मत का प्रयोग कर सकेगा ।

(5) किसी साधारण बैठक में भाग लेने और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार व्यक्ति इलैक्ट्रानिक माध्यमों से भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे और बैठक में भाग लेने और मतदान करने की रीति वह होगी, जिसे विहित किया जाए ।

(6) अध्यक्ष की अभिव्यक्त सहमति के बिना, वार्षिक साधारण बैठक में तब तक उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न किसी कारबार के संबंध में संव्यवहार या चर्चा नहीं की जाएगी जब तक कि उसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा या बैठक में मताधिकार रखने वाले न्यूनतम सौ सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को इस संबंध में कम से कम छह सप्ताह पूर्व कोई सूचना न दे दी जाए :

परन्तु ऐसी कोई सूचना एक निश्चित संकल्प के रूप में होगी, जिसे बैठक के समक्ष रखा जाएगा और यह कि ऐसे संकल्प को बैठक की सूचना को सम्मिलित किया जाएगा ।

(7) अध्यक्ष की सहमति के बिना, साधारण बैठक में उस कारबार से भिन्न किसी कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा या किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाएगी, जिसके लिए साधारण बैठक को बुलाया गया है ।

(8) साधारण बैठक में तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसमें तब तक कोई कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्य ऐसी गणपूर्ति का गठन न करें, जिसे विहित किया जाए :

परन्तु जहां गणपूर्ति के अभाव में कोई बैठक नहीं की जा सकी, वहां उसे स्थगित किया जा सकेगा और उसे ऐसी रीति में आयोजित किया जा सकेगा, जो विहित की जाए ।

(9) निगम साधारण बैठक की सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तकों में करवाएगा ।]

अध्याय 6

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

[1]**[24. निगम की निधियां—** निगम की अपनी स्वयं की निधि या निधियां होंगी, उनमें निगम की सभी प्राप्तियों को जमा किया जाएगा और निगम द्वारा किए जाने वाले सभी संदायों को उनमें से ही किया जाएगा :

परन्तु बोर्ड निगम की निधियों में से किसी निधि या अन्यथा के संबंध में ऐसी आरक्षितियों की स्थापना कर सकेगा, जिन्हें किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए भी आबंटित किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा और ऐसी राशियों को, जिन्हें बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए, ऐसी आरक्षितियों को अंतरित किया जा सकेगा या उनमें से अंतरित किया जा सकेगा ।

(2) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 136 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, निम्नलिखित को बनाए रखवाएगा,—

(क) एक भाग लेने वाली पालिसी धारक निधि, जिसमें भाग लेने वाले पालिसी धारकों से प्राप्त होने वाली सभी प्राप्तियों को जमा किया जाएगा और उस निधि में से ही ऐसे पालिसी धारकों को सभी संदाय किए जाएंगे ; और

(ख) किसी भाग न लेने वाली पालिसी धारक निधि, जिसमें किसी भाग न लेने वाले पालिसी धारकों से प्राप्त होने वाली सभी प्राप्तियों को जमा किया जाएगा और उस निधि से ही ऐसे पालिसी धारकों को सभी संदाय किए जाएंगे :

परन्तु सदस्य, साधारण बैठक में संकल्प द्वारा दो वित्तीय वर्षों तक एक बार में एक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी निधियों को बनाए रखने से छूट प्रदान कर सकेंगे ।

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 136 द्वारा प्रतिस्थापित ।

24क. लेखा बहियां आदि—(1) निगम, अपने केंद्रीय कार्यालय में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियों और अन्य सुसंगत बहियां और अभिलेख तथा वित्तीय विवरण तैयार करेगा और रखेगा, जो उसके आंचलिक कार्यालयों के कार्यकलापों सहित उसके कार्यकलापों की स्थिति के संबंध में सही और ऋजुचित्र प्रस्तुत करेंगे और जो केंद्रीय कार्यालय और उसके आंचलिक कार्यालयों, दोनों में किए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करेंगे ।

(2) निगम, अपने प्रत्येक आंचलिक कार्यालय में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियां और अन्य सुसंगत बहियां और अभिलेख तथा वित्तीय विवरण तैयार करेगा और रखेगा, जो ऐसे आंचलिक कार्यालय के तत्स्थानी जोन में स्थापित प्रत्येक प्रभागीय कार्यालय के कार्यकलापों की स्थिति के संबंध में सही और ऋजुचित्र प्रस्तुत करेंगे और जो केंद्रीय कार्यालय और जो वहां पर किए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करेंगे ।

(3) निगम अपने प्रत्येक प्रभागीय कार्यालय में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियां और अन्य सुसंगत बहियां और अभिलेख तथा वित्तीय विवरण तैयार करेगा और रखेगा, जो ऐसे प्रभागीय कार्यालय के अधीन स्थापित प्रत्येक शाखा के कार्याकलापों की स्थिति के संबंध में सही और ऋजुचित्र प्रस्तुत करेंगे और जो वहां पर किए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करेंगे ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं लेखा बहियों और अन्य सुसंगत बहियों और अभिलेखों को भारत में ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर रखा जा सकेगा, जैसा बोर्ड विनिश्चय करे ।

(5) निगम के संबंध में उस समय यह समझा जाएगा कि उसने, केंद्रीय कार्यालय से भिन्न किसी आंचलिक कार्यालय या किसी प्रभागीय कार्यालय या निगम की किसी शाखा, चाहे वह भारत के भीतर या बाहर स्थित हो, के संबंध में उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन किया है, यदि ऐसे कार्यालय या शाखा में किए गए संव्यवहारों से संबंधित समुचित लेखा बहियों को वहां पर रखा जाता है और केंद्रीय कार्यालय या तत्स्थानी आंचलिक कार्यालय या तत्स्थानी प्रभागीय कार्यालय या उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान को आवधिक रूप से समुचित संक्षिप्त विवरणियां भेजी जाती हैं ।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट लेखा बहियां और अन्य सुसंगत बहियां और अभिलेख इलैक्ट्रानिक रूप में, ऐसी रीति में रखे जा सकेंगे जो कि बोर्ड अवधारित करे ।

(7) निगम के, किसी वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती कम से कम दस वित्तीय वर्षों से अन्यून की अवधि से संबंधित लेखा बहियों को, ऐसी लेखा बहियों में की गई प्रविष्टि से सुसंगत वाऊचरों सहित सुव्यवस्थित रखा जाएगा :

परन्तु जहां केंद्रीय सरकार ने धारा 25घ के अधीन कोई विशेष संपरीक्षक नियुक्त किया है या उसकी यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया है तो वह निगम को यह निदेश दे सकेगी कि लेखा बहियों को ऐसी और दीर्घावधि के लिए रखा जाए, जिसे केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

24ख. वित्तीय विवरण—(1) निगम के वित्तीय विवरण निगम के कार्यकलापों की स्थिति के संबंध में सही और ऋजुचित्र प्रस्तुत करेंगे और वे ऐसी लागू लेखांकन अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे, जो ऐसे वित्तीय विवरणों के लिए लागू हों :

परन्तु वित्तीय विवरणों को मात्र इस तथ्य के कारण से कि वे ऐसे किन्हीं विषयों का प्रकटन नहीं करते हैं, जिन्हें इस अधिनियम या बीमा अधिनियम द्वारा या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रकट किया जाना अपेक्षित नहीं है, इस रूप में नहीं माना जाएगा कि वे निगम के कार्यकलापों को स्थिति का सही और ऋजुचित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं ।

(2) बोर्ड, प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को ऐसी बैठक के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(3) निगम, उपधारा (2) के अधीन उपबंधित वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप निगम का एक समेकित वित्तीय विवरण तैयार करेगा और वह ऐसे वित्तीय विवरण को उपधारा (2) के अधीन अपने वित्तीय विवरणों को रखने के साथ-साथ वार्षिक साधारण बैठक के समक्ष प्रस्तुत करेगा :

परन्तु निगम अपने वित्तीय विवरणों के साथ एक ऐसा पृथक् विवरण भी संलग्न करेगा, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं अंतर्विष्ट होंगी ।

(4) उपधारा (1) और धारा 24ग के अधीन वित्तीय विवरणों, धारा 25ख में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में संपरीक्षक की जांच और इसके अधीन लेखाओं के संबंध में संपरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए जाने तथा धारा 23क के अधीन वार्षिक साधारण बैठक में वित्तीय विवरणों को अंगीकृत किया जाना इस अधिनियम के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित उपधारा (3) में निर्दिष्ट समेकित वित्तीय विवरण को लागू होंगे ।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां वित्तीय विवरण उनको लागू मानकों के अनुरूप नहीं है, वहां निगम वित्तीय विवरणों में ऐसे लागू मानकों से विचलन, उसके कारणों और ऐसे विचलन से उद्भूत होने वाले वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हों, का प्रकटन करेगा ।

(6) समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, सहित वित्तीय विवरणों को उनके संबंध में संपरीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो पूर्णकालिक निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न एक निदेशक, निगम के वित्त और अनुसचिवीय कृत्यों के प्रधान और उसके नियुक्त बीमांकक द्वारा बोर्ड की ओर से उन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(7) प्रत्येक वित्तीय विवरण के साथ संपरीक्षक की रिपोर्ट को संलग्न किया जाएगा।

(8) प्रत्येक वित्तीय विवरण, जिसके अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, भी है, की एक हस्ताक्षरित प्रति को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति सहित जारी, परिचालित या प्रकाशित किया जाएगा,—

(क) ऐसे वित्तीय विवरणों से संलग्न या उनका भागरूप किन्हीं टिप्पणों ;

(ख) संपरीक्षक की रिपोर्ट ; और

(ग) धारा 24ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड की रिपोर्ट।

24ग. बोर्ड की रिपोर्ट—(1) साधारण बैठक के समक्ष रखे जाने वाले वित्तीय विवरणों के साथ बोर्ड द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट संलग्न की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(क) बोर्ड की बैठकों की संख्या ;

(ख) निदेशक का उत्तरदायित्व संबंधी विवरण ;

(ग) संपरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए कपटों के संबंध में ब्यौरे ;

(घ) धारा 4 की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक के अधीन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा संबंधी विवरण ;

(ङ) निगम की, निदेशकों की नियुक्ति पर नीति, जिसके अंतर्गत निदेशक की अर्हताओं, सकारात्मक गुणों और उसकी स्वतंत्रता को अवधारित करने के लिए मानदंड भी हैं, जिन्हें धारा 19ख में निर्दिष्ट किया गया है ;

(च) संपरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित प्रत्येक अर्हता, संचय या प्रतिकूल टिप्पणी या दावा त्याग के संबंध में बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टीका-टिप्पणियां ;

(छ) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा निगम को लागू किए गए अनुसार बीमा अधिनियम की धारा 27क के उपबंधों के निबंधनानुसार विनिधानों के संबंध में विशिष्टियां ;

(ज) धारा 4ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबद्ध पक्षकारों के साथ संविदाओं या ठहरावों की विशिष्टियां ;

(झ) निगम के कार्यकलापों की स्थिति ;

(ञ) वे रकमें, यदि कोई हों, जिन्हें किन्हीं आरक्षितियों में अग्रनीत किया गया है ;

(ट) वह रकम, यदि कोई हों, जिसकी वह सिफारिश करती है उसका संदाय लाभांश के रूप में किया जाना चाहिए ;

(ठ) ऐसे सारवान् परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो निगम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं और जो उस वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच की अवधि में घटित हुई हैं ;

(ड) यह रीति उपदर्शित करते हुए एक विवरण, जिसमें धारा 19क के अधीन व्यष्टि निदेशकों के निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन किया गया है ;

(ढ) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं :

परन्तु जहां इस उपधारा में निर्दिष्ट प्रकटनों को वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है, वहां ऐसे प्रकटनों को बोर्ड की रिपोर्ट में दोहराने की बजाय निर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु यह और कि जहां खंड (ङ) में निर्दिष्ट नीति को निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाता है, यह उक्त खंड के अधीन अपेक्षा का पर्याप्त अनुपालन समझा जाएगा, यदि नीति की प्रमुख विशिष्टियों और उनमें किए गए किन्हीं परिवर्तनों को संक्षेप में बोर्ड की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जाता है और वह वेब-पता, जिस पर ऐसी नीति उपलब्ध है, उसमें उपदर्शित किया जाता है।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में निम्नलिखित कथित किया जाएगा कि,—

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में सारवान् विचलनों के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ धारा 24ख में निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुसरण किया गया है ;

(ख) लेखांकन नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया गया था तथा किए गए निर्णय और प्राक्कलन युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण थे, जिससे वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निगम के कार्यकलापों की और उस अवधि के लिए निगम के लाभ और हानि की स्थिति के संबंध में सही और ऋजुचित्र प्रस्तुत कर सकें ;

(ग) निगम की आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा किसी कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है ;

(घ) वार्षिक लेखाओं को चालू समुत्थान के आधार पर तैयार किया गया था ;

(ङ) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ज) में निर्दिष्ट सतर्कता प्रशासन, निगम में केंद्रीय सतर्कता आयोग के पर्यवेक्षणाधीन कार्यरत था और इसके अतिरिक्त, निगम द्वारा अनुसरित किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिकथित किया गया था और वे प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे ; और

(च) लागू विधियों के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार की गई थीं और वे प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" पद से निगम के कारबार का सुव्यवस्थित और दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए अंगीकृत पालिसियां और प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं, जिनके अंतर्गत इसकी पालिसियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना का तैयार किया जाना भी है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड की रिपोर्ट और उसके किन्हीं उपाबंधों पर बोर्ड की ओर से दो पूर्णकालिक निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

24घ. शास्तियां—यदि मुख्य कार्यपालक या वित्त का भारसाधक प्रबंध निदेशक या निगम के वित्त कृत्य का प्रधान या धारा 24क या धारा 24ख या धारा 24ग के उपबंधों का अनुपालन करने के कर्तव्य से बोर्ड द्वारा भारित निगम का कोई अन्य व्यक्ति उक्त उपबंधों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो ऐसा मुख्य कार्यपालक या प्रबंध निदेशक या वित्त कृत्य का प्रधान या अन्य व्यक्ति, ऐसी प्रत्येक धारा के लिए, जिसके उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, केंद्रीय सरकार को ऐसी राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने का दायी होगा जो पचास हजार रुपए से कम की नहीं होगी किंतु पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी ।]

[1]**[25. संपरीक्षकों की नियुक्ति**—(1) निगम, अपनी प्रथम वार्षिक साधारण बैठक में, उतने संपरीक्षकों, (जो व्यष्टि या फर्म हो सकते हैं) नियुक्त करेगा, जितने वह ठीक समझे और ऐसा संपरीक्षक उसके पश्चात् उस बैठक के समापन से उसकी छठवीं वार्षिक साधारण बैठक के समापन तक पद धारण करेगा और इस प्रकार एक समय में पांच वर्ष की पश्चातवर्ती कालावधियों के लिए संपरीक्षक नियुक्त करेगा, और ऐसी बैठक में सदस्यों द्वारा संपरीक्षकों के चयन की रीति और प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए :

परन्तु ऐसी नियुक्ति किए जाने से पूर्व, ऐसी नियुक्ति के लिए संपरीक्षक की लिखित सहमति और संपरीक्षक से ऐसा प्रमाणपत्र कि नियुक्ति यदि की जाती है तो वह ऐसी शर्तों के अनुसार होगी जो विहित की जाएं, संपरीक्षक से प्राप्त किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे प्रमाणपत्र में यह घोषणा भी होगी कि संपरीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 141 के अधीन किसी कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता के लिए उपबंधित मानदंड को पूरा करता है ।

(2) निगम किसी व्यष्टि को पांच निरंतर वर्षों की एक से अधिक पदावधि के लिए संपरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं करेगा :

परन्तु ऐसा संपरीक्षक जिसने नियुक्ति की पदावधि पूरी कर ली है, ऐसे समापन से पांच वर्ष की अवधि के लिए संपरीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए या नई नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि किसी संपरीक्षा फर्म को पांच वर्ष की अवधि के लिए संपरीक्षक रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसे, यदि नियुक्त किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति की तारीख को, ऐसी संपरीक्षा फर्म का सामान्य भागीदार रहा हो या भागीदार रहे हों जिसकी निगम में संपरीक्षक के रूप में अवधि उस वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में समाप्त हो गई थी जिसमें नई नियुक्ति की जानी है या जो संपरीक्षा फर्म के रूप में संपरीक्षा फर्मों के उसी नेटवर्क से सहयोजित है जिसकी पदावधि उपरोक्त रूप में समाप्त हो गई थी :

परन्तु यह भी कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी संपरीक्षक को हटाने के लिए निगम के अधिकार या निगम के ऐसे पद से संपरीक्षक द्वारा त्यागपत्र देने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "उसी नेटवर्क" पद के अंतर्गत सामान्य ब्रांड नाम या व्यापार नाम के अधीन या सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य कर रही या कृत्य कर रही फर्में भी सम्मिलित हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 137 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(1949 का 38) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी नेटवर्क के लिए किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन यथा परिभाषित नेटवर्क फर्में हैं ।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम साधारण बैठक में यह उपबंध करने के लिए यह संकल्प कर सकेगा कि—

(क) इसके द्वारा नियुक्त संपरीक्षा फर्म में, संपरीक्षण भागीदार और उसकी टीम ऐसे अंतरालों पर चक्रानुक्रमित की जाएगी जिसका सदस्यों द्वारा संकल्प लिया जाए ;

(ख) संपरीक्षा एक से अधिक संपरीक्षक द्वारा संचालित की जाएगी ।

(4) किसी संपरीक्षक के कार्यालय में कोई आकस्मिक रिक्ति बोर्ड द्वारा तीस दिन के भीतर भरी जाएगी किंतु यदि ऐसी आकस्मिक रिक्ति किसी संपरीक्षक के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप उद्‌भूत होती है तो ऐसी नियुक्ति इस निमित्त सिफारिशें करने वाले बोर्ड की तीन मास के भीतर बुलाई गई साधारण बैठक में निगम द्वारा अनुमोदित भी की जाएगी और इस प्रकार नियुक्त संपरीक्षक अगली वार्षिक साधारण बैठक की समाप्ति तक पद धारण करेगा ।

(5) जहां किसी वार्षिक साधारण बैठक में, किसी संपरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है, वहां विद्यमान संपरीक्षक निगम के संपरीक्षक के रूप में बना रहेगा ।

(6) सभी नियुक्तियां, जिनके अंतर्गत इस धारा के अधीन किसी संपरीक्षक की आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना भी है, संपरीक्षा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात् की जाएंगी ।

(7) संपरीक्षक का पारिश्रमिक साधारण बैठक में या ऐसी रीति में जो उसमें अवधारित की जाए, नियत किया जाएगा ।

(8) जब तक प्रथम वार्षिक साधारण बैठक आयोजित नहीं की जाती है तब तक कंपनियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन कंपनियों के संपरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक्तः अर्हित संपरीक्षकों की केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड द्वारा नियुक्ति की जाएगी, और वे निगम से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो केंद्रीय सरकार नियत करे ।

(9) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी संपरीक्षक की नियुक्ति वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 25 (जैसी वह वित्त अधिनियम की धारा 137 के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान थी) या उसके पश्चात् उपधारा (8) के अधीन प्रथम वार्षिक साधारण बैठक से पूर्व की गई है और ऐसे संपरीक्षक की नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है तथा संपरीक्षक उपधारा (1) में निर्दिष्ट मानदंड को पूरा करता है, वहां ऐसा संपरीक्षक इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक बना रहेगा :

परन्तु इस उपधारा या धारा 25क में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे परीक्षक को निगम द्वारा हटाए जाने के उसके अधिकार या निगम के पद से परीक्षक द्वारा त्यागपत्र देने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

(10) उपधारा (1) या उपधारा (8) या उपधारा (9) के अधीन नियुक्त संपरीक्षक निगम या इसकी समनुषंगियों को केवल ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करेगा जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती हैं, किंतु इनमें ऐसी सेवाओं में से कोई सेवा चाहे वह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः की गई हों, सम्मिलित नहीं होंगी, जिन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 144 में प्रगणित किया गया है :

परन्तु कोई संपरीक्षक, जो वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 137 के प्रवृत्त होने पर या उससे पूर्व कोई गैर-संपरीक्षा सेवाएं दे रहा हैं, उस प्रथम वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व जिसमें उक्त धारा प्रवृत्त होती हैं, इस धारा के उपबंधों का पालन करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "फर्म" शब्द के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन निगमित सीमित दायित्व भागीदारी भी सम्मिलित है ।

25क. संपरीक्षक का हटाया जाना और उसका त्यागपत्र—धारा 25 के अधीन नियुक्त संपरीक्षक को विशेष संकल्प के द्वारा ही नियुक्ति की अवधि की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित संपरीक्षक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसमें निगम को लिखित में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी सम्मिलित हैं, जहां संपरीक्षक यह अनुरोध करता है कि प्रत्येक सदस्य को प्रेषित उसकी एक प्रति प्राप्त करने हेतु सदस्यों के लिए ऐसा अभ्यावेदन अधिसूचित किया जाए और यदि प्रति उपरोक्त रूप में नहीं भेजी जाती है क्योंकि यह बहुत विलंब से प्राप्त हुई थी मौखिक रूप से सुने जाने वाले अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अभ्यावेदन को बैठक में पढ़ा जाएगा ।

(2) ऐसे संपरीक्षक जिसने निगम से त्यागपत्र दे दिया है, त्यागपत्र की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, निगम के पास विहित प्ररूप में ऐसा विवरण फाइल करेगा जिसमें ऐसे कारण और अन्य तथ्य उपदर्शित होंगे जो त्यागपत्र के संबंध में सुसंगत हों ।

(3) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन की गई कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि केन्द्रीय सरकार का भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से यह समाधान हो जाता है कि संपरीक्षक का कोई बदलाव अपेक्षित है तो वह आदेश कर सकेगी कि संपरीक्षक उस रूप में कार्य नहीं करेगा और ऐसे संपरीक्षक के स्थान पर अन्य संपरीक्षक की नियुक्ति कर सकेगी ।

25ख. संपरीक्षकों की शक्तियां तथा कृत्य और संपरीक्षक की रिपोर्ट—(1) निगम के प्रत्येक संपरीक्षक को सभी समयों पर निगम की लेखा बहियों और उसके वाउचरों तक पहुंच का अधिकार होगा और वे ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण जो संपरीक्षक, संपरीक्षक के रूप में कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे, निगम के अधिकारियों से मांगने के हकदार होंगे और, अन्य मामलों के साथ निम्नलिखित मामलों में भी जांच करेंगे, अर्थात् :—

(क) क्या निगम द्वारा प्रतिभूति के आधार पर दिए गए ऋणों और अग्रिमों को उचित रूप से प्रतिभूत किया गया है ;

(ख) क्या वे निबंधन जिन पर ऋण और अग्रिम दिए गए हों, निगम या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों ;

(ग) क्या निगम के संव्यवहार जिनको केवल बही प्रविष्टियों द्वारा व्यपदिष्ट किया गया है, उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं ;

(घ) क्या निगम की आस्तियों का उतना भाग जितना शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों से मिलकर बनता है, उस कीमत से कम कीमत पर विक्रय किया गया है जिस पर उन्हें क्रय किया गया था ;

(ङ) क्या निगम द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम निक्षेप के रूप में दर्शाए गए हैं ;

(च) क्या वैयक्तिक व्ययों को राजस्व खाते से भारित किया गया है ;

(छ) जहां निगम की बहियों और दस्तावेजों में यह कथन किया गया है कि कोई शेयर नकदी के लिए आबंटित किए गए हैं चाहे नकदी वास्तविक रूप से ऐसे आबंटन की बाबत प्राप्त की गई है या नहीं और यदि कोई नकदी इस प्रकार वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लेखा-बहियों और तुलन पत्र में यथाकथित स्थिति सही, नियमित है और भ्रामक नहीं है :

परन्तु संपरीक्षक को निगम की सभी समनुषंगी कंपनियों और सहयुक्त कंपनियों के अभिलेखों तक पहुंच का भी अधिकार वहां तक होगा जहां तक उनका संबंध निगम के वित्तीय विवरणों के समेकन के ऐसी समनुषंगी कंपनियों और सहयुक्त कंपनियों के वित्तीय विवरणों के समेकन से हैं ।

(2) संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित लेखाओं पर सदस्यों को रिपोर्ट करेगा और प्रत्येक वित्तीय विवरण पर जिसकी अपेक्षा ऐसी साधारण बैठक में विधि के द्वारा या उसके अधीन की जाती है और ऐसी रिपोर्ट में इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों, धारा 24ख में निर्दिष्ट मानकों और ऐसे विषयों, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, पर विचार करने के पश्चात् और संपरीक्षा की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार यह कथन होगा कि निगम के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उक्त लेखाओं और वित्तीय विवरणों में निगम के कार्यकलापों के और वर्ष के लिए उसके लाभ या हानि तथा नकद प्रवाह की स्थिति का सही और ऋजुचित्र प्रस्तुत करता है ।

(3) संपरीक्षक की रिपोर्ट में यह भी कथन होगा—

(क) क्या संपरीक्षक ने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग की है और उन्हें प्राप्त कर लिया है जो संपरीक्षक के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थी और यदि नहीं तो उसके ब्यौरे और वित्तीय विवरणों पर ऐसी जानकारी के प्रभाव;

(ख) क्या संपरीक्षक की राय में, जहां तक इन बहियों की संपरीक्षक की परीक्षा से ऐसा प्रतीत होता है विधि की अपेक्षानुसार उचित लेखा बहियां निगम के द्वारा रखी गई हैं और संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए ऐसी उचित पर्याप्त विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हो गई हैं जिनका दौरा संपरीक्षक ने नहीं किया था ;

(ग) क्या उपधारा (6) के परन्तुक में निर्दिष्ट कोई रिपोर्ट, निगम के संपरीक्षक को भेज दी गई है और वह रीति जिसमें निगम के संपरीक्षक ने संपरीक्षक रिपोर्ट तैयार करने में कार्रवाई की है ;

(घ) क्या रिपोर्ट में चर्चा किए गए निगम के तुलनपत्र तथा लाभ तथा हानि लेखे, लेखाबहियों और विवरणी के अनुरूप हैं ;

(ङ) क्या संपरीक्षक की राय में वित्तीय विवरण लागू मानकों का अनुपालन करते हैं

(च) ऐसे वित्तीय संव्यवहारों और मामलों पर जिनका निगम के कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, के संबंध में संपरीक्षकों के संप्रेक्षण या टीका-टिप्पणियां ;

(छ) क्या कोई निदेशक धारा 4क के खंड (i) के अधीन निदेशक होने या बने रहने के लिए निरर्हित है ;

(ज) कोई अर्हता, आरक्षण या लेखाओं के बनाए रखने से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणी और उनसे संबंधित विषय ;

(झ) क्या निगम विद्यमान वित्तीय विवरणों के प्रतिनिर्देश से पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता रखता है ;

(ञ) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं ।

(4) जहां इस धारा के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित विषयों में से किसी विषय का उत्तर नकारात्मक रूप से या परिमाण के साथ दिया जाता है तो रिपोर्ट में उसके लिए कारणों का उल्लेख होगा ।

(5) ऐसे वित्तीय संव्यवहारों या विषयों, जिनका निगम के कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव हों, के संबंध में निगम के लिए नियुक्त संपरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी अर्हताओं, संप्रेक्षणों या टीका-टिप्पणियों को साधारण बैठक में पढ़ा जाएगा और किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा ।

(6) निगम की किसी शाखा या उसके किसी कार्यालय के संबंध में, इस धारा में लेखाओं की संपरीक्षा या तो निगम के लिए नियुक्त संपरीक्षक (जिसे इसमें "निगम का संपरीक्षक" कहा गया है) द्वारा या निगम के किसी संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा और धारा 25 के अधीन उस रूप में नियुक्त संपरीक्षक द्वारा की जाएगी या जहां ऐसी शाखा या कार्यालय भारत से बाहर के देश में स्थित है, वहां शाखा या कार्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा या तो निगम के संपरीक्षक द्वारा या किसी लेखाकार द्वारा या उस देश की विधियों के अनुसार शाखा या कार्यालय की लेखाओं के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक्तः अर्हित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी और शाखा या कार्यालय की संपरीक्षा के प्रतिनिर्देश से और निगम के संपरीक्षक और उसके संपरीक्षक, यदि कोई हों, के कर्तव्य और शक्तियां वे होंगी, जो विहित की जाएं :

परन्तु किसी शाखा या कार्यालय के लिए संपरीक्षक शाखा या कार्यालय के ऐसे लेखाओं पर, जिनकी परीक्षा ऐसे संपरीक्षक द्वारा की गई है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे निगम के संपरीक्षक को भेजेगा, जो निगम के संपरीक्षक की रिपोर्ट पर ऐसी रीति में कार्रवाई करेगा जो निगम का संपरीक्षक आवश्यक समझे ।

25ग. आंतरिक संपरीक्षा—बोर्ड, संपरीक्षा समिति की सिफारिश पर, एक आंतरिक संपरीक्षक नियुक्त करेगा जो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल होगा या ऐसा अन्य वृत्तिक होगा जो निगम के कृत्यों और क्रियाकलापों की आंतरिक संपरीक्षा संचालित करने के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए ।

(2) संपरीक्षा समिति—

(क) आंतरिक संपरीक्षक की नियुक्ति, उसकी नियुक्ति का पारिश्रमिक और उसके निबंधनों के लिए बोर्ड को सिफारिश करेगी ;

(ख) आंतरिक संपरीक्षक से परामर्श करके, आंतरिक संपरीक्षा संचालित करने के लिए कार्यक्षेत्रों, कार्यकरण, आवधिकता और पद्धति तैयार करेगी ;

(ग) आंतरिक संपरीक्षक के निष्पादन और संपरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता का पुनर्विलोकन करेगी और उसको मानीटर करेगी ।

25घ. विशेष संपरीक्षक—धारा 19ग, 23क, 25 ,25क और 25ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी भी समय ऐसे संपरीक्षक की नियुक्ति कर सकेगी जो वह निगम के लेखाओं की परीक्षा करने और उन पर रिपोर्ट देने के लिए विशेष संपरीक्षक के रूप में ठीक समझे और ऐसे संपरीक्षक को निगम की लेखा बहियों और वाउचरों तक पहुंच का और निगम के अधिकारियों से सूचना और स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने की हकदारी के वही अधिकार प्राप्त होंगे जैसे वह धारा 25ख के अधीन निगम के संपरीक्षक को प्राप्त है ।]

26. बीमांकिक मूल्यांकन—[1][बोर्ड] अपने [2][जीवन बीमा कारबार विषयक अपने दायित्वों के मूल्यांकन के सहित अपने जीवन बीमा कारबार] की वित्तीय स्थिति का अन्वेषण बीमांकिकों द्वारा [3][प्रत्येक वर्ष] कराएगा और बीमांकिकों की रिपोर्ट [4][बोर्ड] के समक्ष रखेगा ।

27. निगम के क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट—निगम पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलाप का लेखा देने वाली रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के खत्म होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र तैयार करेगा और केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखेगा, [5]*** ।

[6][**28. जीवन बीमा कारबार से प्राप्त अधिशेष का कैसे उपयोग किया जाएगा—** यदि किसी अन्वेषण के परिणामस्वरूप जो धारा 26 के अधीन बोर्ड द्वारा किया गया है कोई अधिशेष निकलता है तो,—

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 138 द्वारा "निगम" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1965 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2012 के अधिनियम सं० 8 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 138 द्वारा "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 139 द्वारा लोप किया गया ।

[6] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 140 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) ऐसे वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जिसके लिए धारा 24 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निधियां बनाई रखी जानी हैं और ऐसे किसी पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष जिसके लिए सदस्य ऐसी निधियों के रखरखाव से छूट प्रदान कर सकेंगे,—

(i) ऐसे अधिशेष का, नब्बे प्रतिशत या उतना अधिकतर प्रतिशत जितना बोर्ड अनुमोदित करे, निगम के जीवन बीमा पालिसी धारकों को आबंटित किया जाएगा या उनके लिए आरक्षित किया जाएगा; और

(ii) शेष अधिशेष का उतना प्रतिशत जितना बोर्ड अनुमोदित करे, सदस्यों को आबंटित किया जाएगा या उनके लिए आरक्षित किया जाएगा और उसे या तो निगम द्वारा रखे गए पृथक् खाते में जमा किया जा सकेगा या ऐसी आरक्षिति या आरक्षितियों में अंतरित किया जा सकेगा जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट वर्ष से भिन्न प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए,—

(i) भाग लेने वाले पालिसी धारकों के संबंध में,—

(I) ऐसे पालिसी धारकों से संबंधित अधिशेष का नब्बे प्रतिशत या उतना अधिकतर प्रतिशत जैसा बोर्ड अनुमोदित करे, भाग लेने वाले पालिसी धारकों की निधि में अंतरित किया जाएगा और निगम के भाग लेने वाले जीवन बीमा पालिसी धारकों को आबंटित किया जाएगा या उनके लिए आरक्षित किया जाएगा ; और

(II) शेष अधिशेष का उतना प्रतिशत जिसे बोर्ड अनुमोदित करे, सदस्यों को आबंटित किया जाएगा या उनके लिए आरक्षित किया जाएगा और उसे या तो निगम द्वारा रखे गए पृथक् खाते में जमा किया जा सकेगा या ऐसी आरक्षिति या आरक्षितियों में अंतरित किया जा सकेगा, जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे ;

(ii) भाग न लेने वाले पालिसी धारकों के संबंध में, ऐसे पालिसी धारकों से संबंधित अधिशेष का एक सौ प्रतिशत निगम द्वारा सदस्यों को आबंटित किया जाएगा या आरक्षित किया जाएगा और उसके द्वारा बनाए रखे गए पृथक् खाते में जमा किया जा सकेगा या ऐसी आरक्षिती या आरक्षितियों में अंतरित किया जा सकेगा जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे ।

(2) यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) में या उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) की मद (ii) में निर्दिष्ट शेष अधिशेष और उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट अधिशेष और धारा 28क के अधीन सदस्यों को आबंटित या आरक्षित किया गया लाभ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिसके अंतर्गत लाभांश की घोषणा या संदाय के प्रयोजन, सदस्यों को पूर्णतः समादत्त बोनस शेयरों का निर्गम और ऐसी कोई आरक्षिती जिसे बोर्ड ने किसी प्रयोजन के लिए सृजित किया है, भी हैं, जिन्हें बोर्ड अनुमोदित करे, उपयोजित किया जाएगा ।

(3) निगम, बोर्ड के अनुमोदन से, पांच वर्ष में या तीन वर्ष से अन्यून ऐसी अल्पतर अवधि में कम से कम एक बार, जैसा बोर्ड ठीक समझे, अपनी वेबसाइट पर अपनी अधिशेष वितरण पालिसी को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और ऐसी पालिसी में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिशतता को विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।]

[1][**28क. (जीवन बीमा कारबार से भिन्न) किसी कारबार के फायदों का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा**—यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए (जीवन बीमा कारबार से भिन्न) ऐसे किसी कारबार से, जो निगम द्वारा चलाया जाता है, कोई लाभ प्रोद्भूत होते हैं तो आरक्षितियों के लिए तथा अन्य ऐसी बातों के लिए, जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक या समीचीन है, उपबन्ध करने के पश्चात् ऐसे लाभों का अतिशेष [2][सदस्यों को आबंटित किया जाएगा या उनके लिए आरक्षित किया जाएगा ।]]

[3][**28ख. लाभांश की घोषणा**—(1) कोई लाभांश, अवक्षयण के लिए उपबंध करने के पश्चात् आए ऐसे वर्ष के लिए या अवक्षयण के लिए उपबंध करने के पश्चात् आए किसी पूर्व वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिए और शेष पूर्वोक्त अधिशेषों और शेष अवितरित या लाभों में से धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिशेषों और लाभों में से किसी वित्तीय वर्ष के लिए (अवसूलीकृत अभिलाभों, कल्पित अभिलाभों को व्यपदिष्ट करने वाली किसी रकम, आस्तियों के या दायित्व के मूल्यांकन और किसी आस्ति की या उचित मूल्य पर आस्ति के मापमान पर दायित्व की रकम या उचित मूल्य पर दायित्व की रकम को अग्रनीत करने में कोई परिवर्तन को अपवर्जित करने के पश्चात्) निगम द्वारा घोषित या संदत्त किए जाएंगे अन्यथा नहीं :

परन्तु मुक्त आरक्षिती से भिन्न अपने आरक्षितियों से निगम द्वारा कोई लाभांश घोषित या संदत्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि निगम द्वारा कोई लाभांश तब तक घोषित या संदत्त नहीं किया जाएगा जब तक पूर्ववर्षो से कोई हानि अग्रनीत नहीं की जाती है और उस वित्तीय वर्ष जिसके लिए लाभांश का घोषित किया जाना या संदत्त किया जाना प्रस्तावित है, धारा

[1] 1965 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 141 द्वारा "केंद्रीय सरकार को दे दिया जाएगा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 142 द्वारा अंत:स्थापित ।

28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिशेषों और लाभों के प्रति पूर्ववर्षों में उपबंधित नहीं किए गए किसी अवक्षयण का मुजरा नहीं किया जाता है ।

(2) बोर्ड, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान या उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक के आयोजित किए जाने तक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए ऐसा अंतरिम लाभांश घोषित किया जाना चाहा गया है, के अधिशेषों और लाभों में से या चालू वित्तीय वर्ष में सृजित उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिशेषों और लाभों में से ऐसे अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से पूर्व तिमाही की समाप्ति तक के लिए अंतरिम लाभांश घोषित कर सकेगा :

परन्तु यदि निगम ने अतंरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से ठीक पूर्व तिमाही की समाप्ति तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हानि उपगत की है, तो ऐसा अतंरिम लाभांश ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निगम द्वारा घोषित लाभांशों की औसत से अधिक दर पर घोषित नहीं किया जाएगा ।

(3) लाभांश की रकम, जिसके अंतर्गत अंतरिम लाभांश भी है, ऐसे लाभांश की घोषणा की तारीख से पांच दिन के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में पृथक् खाते में जमा की जाएगी ।

(4) निगम के किसी शेयर के संबंध में निगम द्वारा कोई लाभांश ऐसे सदस्य को ही दिया जाएगा जिसके नाम में धारा 5ग में निर्दिष्ट सदस्यों के रजिस्टर पर ऐसे शेयर को प्रविष्ट किया जाता है या उसके आदेशानुसार या उसके बैंककार को ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं तथा वह नकद में संदेय होगा न कि स्टाक या मूल्य के किसी अन्य रूप में:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात पूर्णतः संदत्त बोनस शेयर जारी करने या सदस्यों द्वारा धारित किन्हीं शेयरों पर तत्समय असंदत्त किसी रकम का संदाय करने के प्रयोजन के लिए धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिशेष और लाभों के पूंजीकरण को प्रतिषिध करने वाली नहीं समझी जाएगी :

परन्तु यह और कि नकद रूप में संदेय किसी लाभांश का ऐसे संदाय के हकदार सदस्य को चेक या वारंट या किसी इलैक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदत्त किया जा सकेगा ।

28ग. असंदत्त लाभांश खाता—(1) जहां निगम द्वारा लाभांश की घोषणा कर दी गई है किंतु उसे उसके संदाय के हकदार किसी सदस्य को घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, तो निगम तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान से सात दिन के भीतर, लाभांश की उस कुल रकम को जो असंदत्त लाभांश खाता के नाम से ज्ञात किसी अनुसूचित बैंक में इस निमित्त निगम द्वारा खोले जाने वाले विशेष खाते में असंदत्त या अदावाकृत रहती है, अंतरित करेगा ।

(2) निगम, असंदत्त लाभांश खाते में उपधारा (1) के अधीन किसी रकम का अंतरण करने के नब्बे दिन के भीतर एक विवरण तैयार करेगा जिसमें ऐसे असंदत्त लाभांश के हकदार प्रत्येक सदस्य का नाम और अंतिम ज्ञात पता तथा उसको संदेय असंदत्त लाभांश की रकम अंतर्विष्ट होगी और ऐसे विवरण को अपनी वेबसाइट पर या किसी अन्य वेबसाइट पर रखेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) यदि असंदत्त लाभांश खाते में उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल रकम या उसका भाग अंतरण करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो निगम ऐसे व्यतिक्रम की तारीख से उतनी रकम पर जिसे उक्त खाते में अंतरित नहीं किया गया है, कंपनी अधिनियम की धारा 124 में विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ऐसी रकम पर प्रोद्भूत ब्याज सदस्यों को असंदत्त रहने वाली रकम के अनुपात में सदस्यों के फायदे के लिए सुनिश्चित करेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन असंदत्त लाभांश खाते में अंतरित किसी धन का हकदार होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, दावा किए गए धन के संदाय के लिए निगम को आवेदन कर सकेगा ।

(5) सात वर्ष की अवधि के लिए शेष अदावाकृत और असंदत्त रकम उस तारीख से जिसको यह असंदत्त लाभांश खाते में संदाय के लिए देय हुई थी, कंपनी अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाएगी और उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन उक्त निधि में जमा रकम समझी जाएगी ।

(6) ऐसे सभी शेयर, जिनके संबंध में लगातार सात या उससे अधिक वर्षों के लिए लाभांश संदत्त नहीं किया गया है या उसका दावा नहीं किया गया है, निगम द्वारा ऐसे ब्यौरों जो विहित किए जाएं, को अंतर्विष्ट करते हुए, के साथ विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित कर दिए जाएंगे :

परंतु ऐसे शेयरों का प्रत्येक दावाकर्ता उक्त निधि से उनके अंतरण के लिए ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर, जो विहित किए जाएं, दावा करने का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त लगातार सात वर्ष की कालावधि के दौरान किसी लाभांश के संदाय या दावा किए जाने की दशा में, शेयर को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित नहीं किया जाएगा ।]

29. रिपोर्टों का संसद् के समक्ष रखा जाना–केन्द्रीय सरकार धारा 25 के अधीन संपरीक्षकों की रिपोर्ट, धारा 26 के अधीन बीमांकिकों की रिपोर्ट और धारा 27 के अधीन निगम के क्रियाकलाप का वृत्तान्त देने वाली रिपोर्ट अपने को ऐसी रिपोर्ट मिलने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

30. जीवन बीमा कारबार चलाने का अनन्य विशेषाधिकार निगम को प्राप्त होगा—नियत दिन को तथा उससे भारत में जीवन बीमा कारबार चलाने का अनन्य विशेषाधिकार निगम को इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टतः उपबन्धित विस्तार तक के सिवाय प्राप्त होगा और बीमा अधिनियम के अधीन जो कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र किसी बीमाकर्ता द्वारा उक्त दिन के अव्यवहित पूर्व धृत है, जहां तक कि वह उसे भारत में जीवन बीमा कारबार चलाने के लिए प्राधिकृत करता है, वहां तक वह उक्त दिन को और से प्रभावी नहीं रहेगा।

32. भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों विषयक बीमा कारबार की अवस्था में अपवाद—(1) जो व्यक्ति मामूली तौर से भारत के बाहर निवासी हैं उनके जीवन से सम्बद्ध बीमा कारबार भारत में करने के लिए किसी व्यक्ति को, जिसने तन्निमित्त आवेदन किया है, केन्द्रीय सरकार धारा 30 या बीमा अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा अनुज्ञा ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन करके दे सकेगी, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, और ऐसे किसी आदेश की बाबत यह समझा जाएगा कि वह ऐसे प्रभावी है मानो वह बीमा अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस प्रकार के कारबार के बारे में ऐसे व्यक्ति को नियन्त्रक द्वारा दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हो।

(2) जो व्यक्ति मामूली तौर से भारत के बाहर निवासी है वैसे किसी व्यक्ति के जीवन का बीमा किसी ऐसी कालावधि के दौरान, जब वह भारत में अस्थायी तौर पर निवासी है, करने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार का जीवन बीमा कारबार करने के लिए अनुज्ञात है उस उपधारा में की कोई बात प्राधिकृत नहीं करेगी।

32. कतिपय अवस्था में प्राधिकारिक मुद्रा रखने की निगम की शक्ति—निगम किसी आंचलिक कार्यालय, खण्ड कार्यालय या भारत के बाहर किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए एक प्राधिकारिक मुद्रा रख सकेगा जो अपने मुख भाग पर उस आंचलिक कार्यालय, खण्ड कार्यालय या अन्य कार्यालय के नाम सहित, जिसमें उसका प्रयोग होना है, निगम की सामान्य मुद्रा की अनुकृति होगी, और ऐसी कोई प्राधिकारिक मुद्रा ऐसे किसी विलेख या दस्तावेज पर लगाई जा सकेगी जिसका निगम एक पक्षकार है।

33. कतिपय अवस्था में विदेशी विधियों का अनुपालन करने की अपेक्षा—जहां कि किसी बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार से अनुलग्न कोई सम्पत्ति या अधिकार इस अधिनियम के अधीन निगम को अन्तरित और उसमें निहित की जानी है या किए जाने हैं या यदि यह बात न होती कि ऐसा अन्तरण और निधान भारत की विधि से शासित न होकर अन्यथा शासित है, तो इस प्रकार अन्तरित और निहित की जाती या किए जाते, वहां बीमाकर्ता ऐसे निदेशों का अनुवर्तन करेगा जो उसे निगम द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए दिए जाएं कि यथास्थिति सम्पत्ति का स्वामित्व या अधिकार निगम को प्रभावी रूप से अन्तरित हो जाए।

34. महाप्रशासक में निहित कतिपय अंशों (शेयरों) का पुनर्निधान—बीमा अधिनियम में कोई बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी, वे सब अंश (शेयर), जो उस अधिनियम की धारा 6क की उपधारा (8) के अधीन किसी राज्य के महाप्रशासक में निहित हो गए हैं और जिनका व्यय नियत दिन के पूर्व उस उपधारा के उपबन्धों के अनुसार नहीं किया गया है, उन व्यक्तियों में, जो यदि उक्त उपधारा अधिनियमित न की गई होती तो उन अंशों (शेयरों) के हकदार होते, उस व्यय की, यदि कोई हो, जो महाप्रशासक द्वारा ऐसे अंशों (शेयरों) लेखे किया गया हो, रकम ऐसे व्यक्तियों द्वारा दे दी जाने पर, पुनर्निहित हो जाएंगे।

35. विदेशी बीमाकर्ताओं की अवस्था में आस्तियों तथा दायित्वों का कतिपय अवस्थाओं में प्रत्यावर्तन—(1) जो कोई बीमाकर्ता भारत के बाहर निगमित है वह नियत दिन के पूर्व केन्द्रीय सरकार को यह कथन करने वाला आवेदन पत्र दे सकेगा कि मेरे नियन्त्रित कारबार से अनुलग्न आस्तियों में वे आस्तियां हैं जो मैं भारत में अपने जीवन बीमा कराबार के संवर्धन के प्रयोजन के लिए लाया था और जो धारा 7 में कोई बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी निगम को अन्तरित और उसमें निहित नहीं की जानी चाहिए।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर 31 दिसंबर, 1955 को विद्यमान बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार में अनुलग्न उसकी आस्तियों को उस रूप में, जैसी वे उस तारीख को हैं, प्रथम अनुसूची के भाग ख के पैरा 3 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार संगणित करके उनका मूल्य अवधारित करेगी तथा उनमें से बीमाकर्ता के उन दायित्वों लेखे, जो 31 दिसंबर, 1955 को विद्यमान उसके नियंत्रित कारबार से अनुलग्न हैं, वह पूरी रकम घटाएगी, जो उस तारीख को द्वितीय अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार संगणित की गई हैं, और यदि कोई आधिक्य है, तो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि आधिक्य के मूल्य के समतुल्य ऐसी आस्तियां, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, निगम को अन्तरित या उसमें निहित नहीं की जाएंगी या जहां कि आदेश नियत दिन के पश्चात् दिया जाता है वहां निगम उक्त आस्तियों से अनिहित कर दिया जाएगा।

(3) जो कोई बीमाकर्ता भारत के बाहर निगमित है उसकी अवस्था में केन्द्रीय सरकार स्वयं भी आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि जो व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं हैं उनके जीवनों पर दी गई जो जीवन बीमा पालिसियां विदेशी करेंसी में की हैं उन पालिसियों लेखे ऐसे कोई दायित्व, जैसे आदेश में विनिर्दिष्ट हैं, उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक किन्हीं ऐसी आस्तियों सहित जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जाएं, निगम को अन्तरित या उसमें निहित नहीं की जाएंगी या यदि आदेश नियत दिन के पश्चात् दिया जाता है तो निगम यथापूर्वोक्त जैसे दायित्वों और आस्तियों से अनिहित हो जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दिए गए किसी आदेश में निर्दिष्ट बीमा पालिसियों लेखे दायित्वों की रकम अपने उस रूप में, जिसमें वह 31 दिसंबर, 1955 को थी–

(क) किसी ऐसी अवस्था में, जिसमें कि संबंधित बीमाकर्ता के बारे में उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश दिया गया है द्वितीय अनुसूची के खंड (ख) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार संगणित की जाएगी ; और

(ख) किसी अन्य अवस्था में, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार संगणित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा में निर्दिष्ट बीमा पालिसियों लेखे दायित्वों की रकम की संगणना करने में ऐसी बीमा पालिसियों लेखे 31 दिसंबर, 1955 से आदेश की तारीख तक प्राप्तियों और संदायों के लिए रोक दिया जाएगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश निगम द्वारा ऐसी रीति से कार्यान्वित किया जाएगा जैसी केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे ।

36. मुख्य अभिकर्ताओं और विशेष अभिकर्ताओं की संविदाओं का पर्यवसान–नियंत्रित कारबार से संबद्ध जो संविदा–

(क) किसी बीमाकर्ता और उसके मुख्य अभिकर्ता के मध्य अथवा किसी बीमाकर्ता और किसी विशेष अभिकर्ता के मध्य, या

(ख) किसी बीमाकर्ता के मुख्य अभिकर्ता और किसी विशेष अभिकर्ता के मध्य,

नियत दिन के अव्यवहित पूर्व विद्यमान है वैसी प्रत्येक संविदा बीमा अधिनियम में या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में कोई बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी नियत दिन से प्रभावशील न रहेगी और मुख्य अभिकर्ता या विशेष अभिकर्ता को ऐसी किसी संविदा के अधीन प्रोद्भूत होने वाले सब अधिकारों का पर्यवसान उस दिन हो जाएगा :

परन्तु ऐसी प्रत्येक अवस्था में, निगम यथास्थिति मुख्य अभिकर्ता या विशेष अभिकर्ता को प्रतिकर, तृतीय अनुसूची में अन्तर्विष्ट सिद्धांतों के अनुसार देगा और धारा 16 की उपधारा (2) के उपबंध ऐसी प्रत्येक अवस्था में यावत्साध्य लागू होंगे ।

37. केन्द्रीय सरकार बीमा पालिसियों को प्रत्याभूत करेगी—निगम द्वारा दी गई सब बीमा पालिसियों द्वारा बीमाकृत राशियां उन पालिसियों लेखे घोषित किन्हीं बोनसों सहित और किसी बीमाकर्ता द्वारा दी गई उन सब बीमा पालिसियों द्वारा, जिन लेखे दायित्व इस अधिनियम के अधीन निगम में निहित हो गए हैं, बीमाकृत राशियां नियत दिन से पूर्व या तत्पश्चात् तन्निमित्त घोषित सब बोनस सहित नकदी में देने की प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार धारा 14 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए देगी :

[1][परंतु निगम यह प्रयास करेगा कि उसकी निधियों का विनिधान पालिसी धारकों को बढ़ा हुआ बोनस सुनिश्चित करने के लिए, उसके द्वारा विरचित कम से कम विनिधान जोखिम वाली आकर्षक स्कीमों में किया जाए, जिससे निगम को बाजार में एक प्रमुख प्रतियोगी के रूप में अपनी स्थितिबनाए रखते हुए जनसाधारण की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ बनाया जा सके ।]

38. निगम का परिसमापन—कंपनियों या निगमों के परिसमापन से संबद्ध विधि का कोई उपबंध इस अधिनियम के अधीन स्थापित निगम को लागू नहीं होगा और निगम का परिसमापन केन्द्रीय सरकार के आदेश से तथा ऐसी रीति से, जैसी वह सरकार निर्दिष्ट करे, किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

39. कतिपय बीमाकर्ताओं के परिसमापन के लिए विशेष उपबंध—जहां कि (विविध बीमाकर्ता से भिन्न) ऐसे किसी बीमाकर्ता ने, जो कंपनी है और जिसका नियंत्रित कारबार निगम को इस अधिनियम के अधीन अन्तरित तथा उसमें निहित किया गया है, कोई धन, जो निगम द्वारा उसे प्रतिकर के रूप में या अन्यथा दिए गए हैं, संगृहीत और वितरित किए हैं और ऐसे किसी निदेश का अनुपालन कर दिया है, जो निगम ने उसे यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए दिया है कि किसी संपत्ति का स्वामित्व या कोई अधिकार निगम को प्रभावी रूप में अन्तरित हो जाए, वहां केन्द्रीय सरकार, अपने से ऐसे बीमाकर्ता द्वारा एतन्निमित्त आवेदन किए जाने पर, बीमाकर्ता को प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगी कि बीमाकर्ता का अस्तित्व आगे बने रहने के लिए कोई कारण नहीं है और जहां कि ऐसा प्रमाणपत्र अनुदत्त कर दिया गया है, वहां प्रमाणपत्र को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराएगी और बीमाकर्ता उसके प्रकाशन पर विघटित हो जाएगा ।

40. संपत्ति आदि के विधारण के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति या किन्हीं बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागज-पत्रों को, जो उसके कब्जे में हों, जानबूझकर विधारित रखेगा या निगम को ऐसे परिदत्त नहीं करेगा जैसे धारा 13 द्वारा अपेक्षित है या किसी बीमाकर्ता की जो संपत्ति निगम को इस अधिनियम के अधीन अन्तरित या उसमें निहित की गई है, उसका कब्जा विधिविरुद्धतया प्रतिधृत रखेगा या ऐसी किसी संपत्ति को इस अधिनियम में अभिव्यक्त या इसके द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए जानबूझकर उपयोग में ले आएगा, तो वह निगम के परिवाद पर कारवास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

41. कतिपय विषयों में अधिकरण की अनन्य अधिकारिता होगी—किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी विषय को ग्रहण करने या न्यायनिर्णीत करने की अधिकारिता न होगी, जिसे कोई अधिकरण इस अधिनियम के अधीन विनिश्चित करने या अवधारित करने के लिए सशक्त है ।

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 8 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

42. अधिकरणों के विनिश्चयों का प्रवर्तन कराना—अधिकरण के किसी विनिश्चय का ऐसे किसी सिविल न्यायालय में, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में वह व्यक्ति, जिसके खिलाफ विनिश्चय का अनुपालन कराया जाना है, वास्तविक रूप से और स्वेच्छापूर्वक निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है या किसी संपत्ति का स्वामी है, प्रवर्तन ऐसे कराया जा सकेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री हो ।

43. बीमा अधिनियम का लागू होना–(1) बीमा अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं, अर्थात् :–

धाराएं 2, 2ख, 3, 18, 26, 33, 38, 39, 41, 45, 46, 47क, 50, 51, 52, 110क, 110ख, 110ग, 119, 121, 122, और 123,

निगम को यावत्साध्य ऐसे लागू होंगी जैसे वे किसी अन्य बीमाकर्ता को लागू हैं ।

(2) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश देगी कि बीमा अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं, अर्थात् :—

धाराएं 2घ, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27क, 28क, 35, 36, 37, 40, 40क, 40ख, 43, 44, 102, **से** 106 तक, 107 से 110 तक, 111, 113, 114 और 116क,

निगम को ऐसी शर्तों पर और ऐसे उपांतरों के अधीन रहते हुए लागू होंगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

[1][(2क) बीमा अधिनियम की धारा 42 निगम के लिए बीमा कारबार याचित या उपाप्त करने के प्रयोजन के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को दिए जाने के संबंध में ऐसे प्रभावशील होगी मानो उसकी उपधारा (1) में इस निमित्त नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रति निर्देश के अन्तर्गत निगम के ऐसे अधिकारी के प्रतिनिर्देश हो जो इस निमित्त नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया गया है ।]

(3) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों से भिन्न बीमा अधिनियम के सब या कोई उपबंध निगम को ऐसी शर्तों पर और उपांतरों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की या किए जाएं ।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना अपने निकाले जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के दोनों संदनों के समक्ष अन्यून तीस दिन के लिए रखी जाएगी और ऐसे उपांतरों के अधीन रहेगी जैसे संसद् उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा जाता है या उसके अव्यवहित पश्चात्वर्ती सत्र के दौरान करे ।

(5) इस धारा में यथा उपबंधित के सिवाय, बीमा अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात निगम को लागू नहीं होगी ।

[2]*   *   *   *   *   *   *

44. कतिपय अवस्थाओं में अधिनियम का लागू न होना—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात—

(क) ऐसे किसी बीमाकर्ता के संबंध में लागू नहीं होगी जिसके कारबार का परिसमापन स्वेच्छा से किया जा रहा है या न्यायालय के आदेशों के अधीन किया जा रहा है ;

(ख) ऐसे किसी बीमाकर्ता के संबंध में लागू नहीं होगी जिसे बीमा अधिनियम उसकी धारा 2ङ में अन्तर्विष्ट उपबंधों के कारण लागू नहीं होता है :

[3][परन्तु इस खंड की कोई बात उस तारीख से ही लागू नहीं होगी, जिसको बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2ङ में अंतर्विष्ट उपबंध प्रवर्तन में नहीं रहेंगे ।]

(ग) किसी विविध बीमाकर्ता के संबंध में लागू नहीं होगी जिसके मामलों के प्रबंध हेतु बीमा अधिनियम की धारा 52क के अधीन प्रशासक नियुक्त किया जा चुका है,

(घ) डाकघर जीवन बीमा निधि नाम से ज्ञात केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई योजना के संबंध में लागू नहीं होगी,

(ङ) नियत दिन को वर्तमान ऐसी किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि के संबंध में लागू नहीं होगी जो इंडियन इंकम-टैक्स ऐक्ट, 1922 (1922 का 11) की धारा 58ढ के खंड (क) में परिभाषित है,

(च) नियत दिन को वर्तमान ऐसी किसी योजना के संबंध में या केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से नियत दिन के पश्चात् बनाई गई ऐसी किसी योजना के संबंध में लागू नहीं होगी जिसके द्वारा सरकार ने अपने कर्मचारियों के सम्बलमों में से

---

[1] 1957 के अधिनियम सं० 17 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 157 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2012 के अधिनियम सं० 8 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।

सेवा की शर्तों के भागरूप में से कतिपय अनिवार्य कटौतियां सरकार द्वारा किए जाने के प्रतिफलस्वरूप कर्मचारी की मृत्यु पर या उसके जीवन पर आश्रित आकस्मिकता के घटित होने पर धन देने का आश्वासन दिया है,

[1][(छ) कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) या कर्मचारी भविष्य-निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 10) के अधीन बनाई गई ऐसी किसी कुटुम्ब पेन्शन स्कीम के संबंध में लागू न होगी जो उक्त स्कीम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए कुटुम्ब पेंशन तथा जीवन बीमा प्रसुविधाओं का उपबंध करती है ।]

[2][**45. कतिपय विविध बीमाकर्ताओं के नियंत्रित कारबार का अन्तरण होने विषयक विशेष उपबंध—**धारा 44 के खंड (ग) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि ऐसी तारीख को और से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे विविध बीमाकर्ता के, जिसके कार्यकलाप के प्रबंध के लिए प्रशासक बीमा अधिनियम की धारा 52क के अधीन नियुक्त कर दिया गया है, नियंत्रित कारबार संबंधी आस्तियों और दायित्व निगम को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे और ऐसी अधिसूचना के निकाले जाने पर इस अधिनियम के उपबंध ऐसे बीमाकर्ता के तथा उसके नियंत्रित कारबार की आस्तियों और दायित्वों का निगम में निहितीकरण होने के संबंध में, जहां तक शक्य हो, ऐसे लागू होंगे जैसे वे अन्य सब बीमाकर्ता तथा उनके नियंत्रित कारबार की आस्तियों और दायित्वों का निगम में निहितीकरण होने के संबंध में लागू होते हैं । किन्तु वे इस उपांतरण सहित लागू होंगे कि इस अधिनियम में नियत दिन के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिन के प्रति निर्देश हैं ।]

[3][**46. निगम या समितियों के गठन में या निदेशकों की नियुक्ति या नामनिर्देशन में त्रुटि के कारण कार्यों या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना**—या इसके बोर्ड या उसकी कोई समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल, यथास्थिति, निगम या बोर्ड या ऐसी समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में त्रुटि होने मात्र के कारण प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) इस बात के होते हुए भी कि तत्पश्चात् यह जानकारी में आया था कि किसी निदेशक की, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन में किसी त्रुटि या निरर्हता के कारण या इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के आधार पर पर्यवसान के कारण उस व्यक्ति द्वारा निदेशक के रूप में किया गया कोई कार्य अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा :

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति द्वारा निदेशक के रूप में, यथास्थिति, उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन के पश्चात् उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की विधिमान्यता देने वाली नहीं समझी जाएगी जिसे निगम द्वारा अविधिमान्य या पर्यवसित होना नोटिस किया गया है ।]

[1][**47. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण**—(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही निगम के किसी निदेशक या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

(2) कोई निदेशक, जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, उसे निगम के केवल ऐसे कार्यों कृत्यों के लोप या उन्हें करने के संबंध में, जो उसकी जानकारी में किए गए थे, जो बोर्ड की प्रक्रियाओं के माध्यम से किए गए माने जा सकते हैं, और जो उसकी सहमति या मौनानुकूलता से किए गए थे या जहां उसने तत्परता से कार्य नहीं किया था, दायी ठहराया जाएगा ।]

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "बोर्ड" के प्रतिनिर्देश के अंतर्गत बोर्ड की समितियां भी होंगी ।]

48. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों या उन में से या किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :

(क) [4][निदेशकों] की पदावधि तथा सेवा की शर्तें,

[5][(कक) धारा 4ख के अधीन निदेशक द्वारा हित के प्रकटन की रीति ;

(कख) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए बोर्ड धारा 4ग के अधीन संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को सहमति दे सकेगा ;

(कग) वे प्रतिभूतियां और लिखतें जिन्हें धारा 5 के अधीन जारी किया जा सकेगा ;

---

[1] 1971 के अधिनियम सं० 16 की धारा 31 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] 1957 के अधिनियम सं० 17 की धारा 4 द्वारा मूल धारा 45 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 143 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 144 द्वारा "सदस्यों" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 144 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(कघ) धारा 5 की उपधारा (9) के खंड (क) के अधीन पब्लिक इश्यू के संबंध में जीवन बीमा पालिसी धारकों के पक्ष में आरक्षण की रीति और ऐसे आरक्षण के लिए आबंटन ;]

(ख) वह रीति जिसमें ऐसी किसी निधि के धन और अन्य आस्तियां, जो धारा 8 में निर्दिष्ट हैं, निधि के न्यासधारियों और निगम के बीच प्रभाजित की जाएंगी,

(ग) वे सेवाएं जो मुख्य अभिकर्ता द्वारा धारा 12 के परन्तुक के प्रयोजन के लिए की जानी चाहिए थीं ;

[1][(गग) निगम के कर्मचारियों [2]*** की, जिनके अंतर्गत वे व्यक्ति भी हैं जो इस अधिनियम के अधीन नियत दिन को निगम के कर्मचारी [5]*** बने, सेवा के निबंधन और शर्तें ;]

(घ) धारा 17 के अधीन संघटित अधिकरणों की अधिकारिता,

(ङ) वह रीति जिससे और वे व्यक्ति जिनको इस अधिनियम के अधीन कोई प्रतिकर चुकाया जा सकेगा,

(च) वह समय जिसके भीतर कोई विषय, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकरण को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है, इस प्रकार निर्दिष्ट किया जा सकेगा,

(छ) वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए निगम द्वारा विनिधान किए जा सकेंगे,

(ज) वह रीति जिससे प्रत्येक आंचलिक कार्यालय के लिए एक कर्मचारी और अभिकर्ता संबंध समिति संघटित की जा सकेगी,

[3][(जक) वह रीति जिसमें साधारण बैठकें की जाएंगी और उनमें संव्यवहार किया जाने वाला कारबार और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(जख) साधारण बैठक के लिए गणपूर्ति और बैठक करने की रीति यदि इसे धारा 23क के अधीन गणपूर्ति के अभाव में आयोजित नहीं किया था और स्थगित कर दिया गया था ;

(जग) वह रीति जिसमें व्यक्ति साधारण बैठक में उपस्थित हो सकेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे ;

(जघ) वह रीति जिसमें सदस्यों या अन्य व्यक्तियों पर निगम की ओर से सूचना की तामील की जा सकेगी ;

(जङ) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 24ख की उपधारा (8) में निर्दिष्ट वित्तीय विवरण जारी, परिचालित या प्रकाशित किए जा सकेंगे;

(जच) वे विषय जिन्हें धारा 24ग की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन विहित किया जा सकेगा ;

(जछ) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षकों के चयन की रीति और प्रक्रिया तथा नियुक्ति की शर्तें ;

(जज) वह प्ररूप जिसमें कोई संपरीक्षक, जिसने पदत्याग कर दिया है, धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन पदत्याग के सुसंगत कारणों और अन्य तथ्यों को उपदर्शित करेगा ;

(जझ) धारा 25ख की उपधारा (3) के खंड (ञ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय ;

(जञ) धारा 25ख की उपधारा (6) के अधीन निगम की शाखा या कार्यालय की संपरीक्षा के संदर्भ में निगम के संपरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां और उसके संपरीक्षक ;

(जट) धारा 28ग की उपधारा (6) में निर्दिष्ट ब्यौरे, प्रक्रिया और दस्तावेज ;]

(झ) वह प्ररूप जिसमें निगम के क्रियाकलापों के वृत्तांत दर्शित करने वाली रिपोर्ट तैयार की जाएगी,

(ञ) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए निगम कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा,

(ट) इस अधिनियम के अधीन देय फीसें और वह रीति जिससे वे संगृहीत की जानी हैं ;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

[4][(2क) निगम के कर्मचारियों और अभिकर्ताओं की, जिनके अंतर्गत वे व्यक्ति भी हैं, जो इस अधिनियम के अधीन नियत दिन को निगम के कर्मचारी और अभिकर्ता बने, सेवा के निबंधनों और शर्तों की बाबत, वे विनियम और अन्य उपबंध, जो जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1981 के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, उपधारा (2) के खंड (गग) के अधीन बनाए गए नियम समझे जाएंगे और इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, तद्नुसार प्रभावी होंगे ।

---

[1] 1981के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित ।
[2] 2012 के अधिनियम सं० 8 की धारा 8 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 144 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1981 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा (31-1-1981 से) अंतःस्थापित ।

(2ख) उपधारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत, ऐसी तारीख से, जो 20 जून, 1979 से पूर्व की न हो, निम्नलिखित होंगी :

(i) ऐसे नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति ; और

(ii) उपधारा (2क) में निर्दिष्ट विनियमों और अन्य उपबंधों का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में, भूतलक्षी प्रभाव देकर संशोधन करने की शक्ति ।

(2ग) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या किसी अन्य विधि में या तत्समय प्रवृत्त किसी करार, परिनिर्धारण, पंचाट या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के खंड (गग) और उपधारा (2ख) के उपबंध और उक्त खंड (गग) के अधीन बनाए गए कोई नियम प्रभावी होंगे और किसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव देकर बनाया गया ऐसा कोई नियम भी उस तारीख से प्रभावी हो गया समझा जाएगा ।]

[1][(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

49. विनियम बनाने की शक्ति—(1) [2][बोर्ड] इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए जिन विषयों के लिए उपबन्ध करना समीचीन है उन सबके लिए उपबन्ध करने के लिए ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम—

(क) [2][बोर्ड] की उन शक्तियों तथा कृत्यों के लिए, जो आंचलिक प्रबंधकों को प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे,

[3][(ख) निगम के कर्मचारियों और अभिकर्ताओं की भर्ती की पद्धति के लिए तथा अभिकर्ताओं की सेवा के निबंधनों और शर्तों के लिए;]

[4]* * * *

(ग) धारा 22 के अधीन संघटित बोर्डों के सदस्यों की संख्या, पदावधि और सेवा की शर्तों के लिए,

(घ) इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्रत्येक अंचल की राजक्षेत्रीय सीमाओं के लिए और प्रत्येक अंचल में किए जाने वाले कारबार के लिए,

(ङ) उस रीति के लिए जिससे निगम की [5][निधि या निधियां] रखी जाएगी,

(च) आंचलिक कार्यालयों में से प्रत्येक में पृथक् निधियां और लेखा रखने के लिए,

(छ) प्रत्येक खंड कार्यालय की अधिकारिता के लिए और किसी खंड कार्यालय द्वारा अनुसेवित क्षेत्र में खंड कार्यालय को ऐसे किसी विषय के बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए बीमा पालिसीधारियों की प्रतिनिधि परिषदों की स्थापना करने के लिए, जो उन्हें निर्दिष्ट किया जाए,

[6][(ज) वह रीति जिसमें बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकें की जाएंगी, उनमें संव्यवहार किया जाने वाला कारबार और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, तथा उनके लिए गणपूर्ति;]

[7]* * * * * *

[8]* * * * * *

---

[1] 1975 के अधिनियम सं० 52 की धारा 43 द्वारा (16-2-1976 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 145 "निगम" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2012 के अधिनियम सं० 8 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] 1981 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 द्वारा (31-1-1981 से) खण्ड (खख) का लोप किया गया ।

[5] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 145 "निधि" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 145 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[7] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 145 द्वारा लोप किया गया ।

[8] 2012 के अधिनियम सं० 8 की धारा 9 द्वारा लोप किया गया ।

(ट) जहां कहीं आवश्यक हो, वहां विशेष बोनस घोषित करने के प्रयोजन से उन बीमापालिसियों के वर्गीकरण के लिए, जो चाहे तो निगम द्वारा, चाहे ऐसे किसी बीमाकर्ता द्वारा, जिसका नियंत्रित कारबार निगम को अन्तरित और उसमें निहित हो गया है, दी गई हैं,

(ठ) उस रीति के लिए जिससे और उन अन्तरालों के लिए जिनमें विभिन्न आंचलिक कार्यालयों, खंड कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के लेखाओं का निरीक्षण और संपरीक्षा किया जा सकेगा या की जा सकेगी,

(ड) उन शर्तों के लिए जिनके अधीन रहते हुए निगम द्वारा कोई संदाय किए जा सकेंगे,

उपबन्ध कर सकेंगे ।

[1][(ढ) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन निदेशकों के निर्वाचन की रीति ;

(ण) धारा 5ख की उपधारा (1) के अधीन रखे और अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्टरों का प्ररूप और रीति ;

(त) धारा 5ङ के अधीन, व्यष्टिक रजिस्ट्रीकृत सदस्य या शेयरों के संयुक्त धारक द्वारा नामनिर्देशन की रीति, ऐसे नामनिर्देशन के परिवर्तन या निरस्तीकरण की रीति और अल्पवय के पक्ष में नामनिर्देशन की रीति ;

(थ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन शेयर, जिनके अंतर्गत भागतः समादत्त शेयर भी हैं, जारी किए जा सकेंगे, धारित किए जा सकेंगे, अंतरित किए जा सकेंगे या रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेंगे ;

(द) धारा 24 के अधीन निधियों और आरक्षितियों का अनुरक्षण और प्रचालन ;

(ध) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 24क में निर्दिष्ट बहियों और अभिलेखों को रखा जा सकेगा ;]

[1][(2क) वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 132 के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व यथाप्रवृत्त विनियमों में, "विनिधान समिति" के प्रतिनिर्देश का धारा 19क में निर्दिष्ट बोर्ड की विनिधान समिति के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ।]

[2][(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह इस सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु विनियम के ऐसे प्रवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

[3][**50. उपांतरणों के साथ आवेदन करने के लिए कंपनियों के लिए प्ररूप, रीति, आदि**—जहां यह अधिनियम उपबंध करता है कि की जाने वाली किसी घोषणा या अनुरक्षित किए जाने वाले किसी रजिस्टर में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियों के संबंध में प्ररूप या रीति या अवधि या ब्यौरे वे होंगे जो कंपनी अधिनियम के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किए जाएं, यथास्थिति, ऐसे विहित प्ररूप या रीति या अवधि अथवा ब्यौरे या व्यष्टियां किन्हीं उपांतरणों, अपवादों और शर्तों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

51. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि वित्त अधिनियम, 2021 के अध्याय 6 के भाग 3 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश वित्त अधिनियम, 2021 के अध्याय 6 के भाग 3 के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।]

प्रथम अनुसूची

(धारा 16 देखिए)

प्रतिकर अवधारण के लिए सिद्धान्त

भाग क

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 145 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1981 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 द्वारा (31-1-1981 से) अंत:स्थापित ।

[3] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 146 द्वारा अंत:स्थापित ।

जिस अंश (शेयर) पूंजी पर लाभांश या बोनस देय है वैसी अंश (शेयर) पूंजी वाले जिस बीमाकर्ता ने उस पूरे अधिशेष या उसके किसी भाग को बोनस के रूप में पालिसीधारियों में आबंटित कर दिया है जो उसके नियंत्रित कारबार संबंधी पहली जनवरी, 1955 के पूर्वतर किसी तारीख के अंतिम बीमांकिक अन्वेषण की बाबत ऐसी संक्षिप्तियों में सम्प्रदर्शित है, जो बीमा अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग 2 के अनुकूल तैयार की गई है, उस बीमाकर्ता को निगम द्वारा देय प्रतिकर पैरा 1 या 2 में से जो भी बीमाकर्ता के लिए अधिक लाभप्रद हो उसके उपबन्धों के अनुसार संगणित किया जाएगा ।

पैरा 1—अधिशेष का जितना अंश सुसंगत बीमांकिक अन्वेषणों संबंधी पूर्वोक्त जैसी संक्षिप्तियों में अंश (शेयर) धारियों में आबंटित के रूप में सम्प्रदर्शित है उसके वार्षिक औसत के बीस गुने के उस अंक से गुणा किए जाने पर आई राशि, जो 1950 में 1955 तक के कलैंडर वर्षों के अभ्यन्तर प्रवृत्त औसत कारबार को सुसंगत बीमांकिक अन्वेषणों में से सर्वप्रथम अन्वेषण से अव्यवहित पूर्व वाले बीमांकिक अन्वेषण की तारीख और उस तारीख के बीच वाली, जिसको ऐसे अन्वेषणों में से अंतिम अन्वेषण हुआ था, कालावधि में समाविष्ट कलैंडर वर्षों के अभ्यन्तर प्रवृत्त औसत कारबार के समानुपात के बराबर है ।

पैरा 2—पैरा 1 के अधीन देय रकम का अर्धांश धन समादत्त पूंजी अथवा उसके समतुल्य आस्तियां अथवा विविध बीमाकर्ता की दशा में, समादत्त पूंजी का वह भाग अथवा उसके समतुल्य आस्तियां, जो इस अधिनियम के अधीन निगम को अन्तरित और उसमें निहित हो गया है या हो गई हैं ऋण व्ययों या हानियों या दोनों की वह रकम, यदि कोई हो, जो बीमा अधिनियम की प्रथम अनुसूची में के प्ररूप क के लिए बीमाकर्ता द्वारा पूंजीकृत कर ली गई है ।

स्पष्टीकरण 1—पैरा 1 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "सुसंगत बीमांकिक अन्वेषणों" से 1 जनवरी, 1955 से पूर्व की तारीखों पर के अंतिम बीमांकिक अन्वेषणों की वह न्यूनतम संख्या (जो किसी अवस्था में दो से कम न होगी) अभिप्रेत है जिससे उस तारीख के, जब ऐसे अन्वेषणों में से सर्वप्रथम अन्वेषण के अव्यवहित पूर्व बीमांकिक अन्वेषण किया गया था और उस तारीख के, जब ऐसे अन्वेषणों में से अंतिम अन्वेषण किया गया था, बीच वाली कालावधि चार वर्ष से कम की नहीं होगी,

(ख) "प्रवृत्त औसत कारबार" से बीमाकर्ता द्वारा अपने नियंत्रित कारबार के सिलसिले में बीमाकृत सब राशियों का औसत (किसी बीमाकृत बोनस सहित) अभिप्रेत है जैसे कि वह सुसंगत कलैंडर वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के इकतीस दिसम्बर को हो ।

स्पष्टीकरण 2—जहां कि बीमाकर्ता ने ऐसे किसी अधिशेष का, जैसा पैरा 1 में निर्दिष्ट है, 5 प्रतिशत से अधिक अंश (शेयर) धारियों में आबंटित कर दिया है वहां बीमाकर्ता की बाबत उस पैरे के प्रयोजनोंके लिए समझा जाएगा कि उसने अधिशेष का केवल 5 प्रतिशत आबंटित किया है और जहां कि बीमाकर्ता ने अंश (शेयर) धारियों में ऐसा कोई अधिशेष आबंटित नहीं किया है या ऐसे किसी अतिशेष का 3½ प्रतिशत से कम आबंटित किया है वहां बीमाकर्ता का बाबत उस पैरे के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने 3½ प्रतिशत आबंटित किया है ।

स्पष्टीकरण 3—भारत के बाहर निगमित किसी बीमाकर्ता की अवस्था में, अंश (शेयर) धारियों में आबंटित अधिशेष अंश (शेयर) के औसत की बाबत पैरा 1 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसे अंक द्वारा, जो नीचे वर्णित दो अंकों का अर्थात् :—

(i) बीमाकर्ता के संसार व्यापी कारबार लेखे अधिशेष में से, जो अंश (शेयर) धारियों में आबंटित है [ऐसा अंश (शेयर) स्पष्टीकरण 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संगणित किया जाएगा] उस अंश (शेयर) का जो अनुपात उस पूरे अधिशेष से है जो उस अन्तिम बीमांकिक अन्वेषण के प्रति निर्देश से अभिनिश्चित किया गया है जो ऐसे कारबार के उस रूप से संबद्ध है जो उस कारबार का पहली जनवरी, 1955 से पूर्वतर तारीख को था उस अनुपात के समतुल्य अंक, और

(ii) बीमाकर्ता के संसार व्यापी कारबार लेखे अधिशेष में से, जो अंश (शेयर) धारियों में आबंटित है [ऐसा अंश (शेयर) पैरा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संगणित किया जाएगा] उस अंश (शेयर) का जो अनुपात उस पूरे अधिशेष से है जो उस बीमांकिक अन्वेषण के प्रति निर्देश से अभिनिश्चित किया गया है जो ऐसे कारबार के उस रूप से संबद्ध है जो ऐसे कारबार का खंड (1) में निर्दिष्ट बीमांकिक अन्वेषण से अव्यवहित पहले था उस अनुपात के समतुल्य अंक का औसत है, गुणा किया जाकर उस अधिशेष का वार्षिक औसत है जो सुसंगत बीमांकिक अन्वेषण लेखे बीमा अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग 2 के अनुरूप तैयार की गई संक्षिप्तियों में संप्रदर्शित है :

परन्तु ऐसे किसी बीमाकर्ता की अवस्था में, जिसके संबंध में धारा 35 के अधीन आदेश दिया गया है, निम्नलिखित रूप में संगणित रकम की बाबत यह समझा जाएगा कि यह अधिशेष का वार्षिक औसत है :

(क) अधिशेष के वार्षिक औसत में से धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन दिए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट आस्तियों पर 3½ प्रतिशत प्रति वर्ष से संगणित एक वर्ष का ब्याज घटाया जाएगा ;

(ख) खंड (क) के अधीन निकले अतिशेष के सम्बन्ध में एक रकम संगणित की जाएगी जिसका उक्त अतिशेष से वही अनुपात है जो उन व्यक्तियों के जीवनों पर, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, दी गई किसी विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त बीमा पालिसियों से भिन्न, उन पालिसियों लेखे जो बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार से अनुलग्न हैं, दायित्व का अनुपात ऐसे कारबार

से अनुलग्न सब बीमा पालिसियों लेखे दायित्व से है ; उन बीमा पालिसियों पर 31 दिसम्बर, 1955 को जो दायित्व है उसका संगणन द्वितीय अनुसूची के खंड (ख) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि—

(क) ऐसी किसी अवस्था में, जिसमें कि धारा 35 के अधीन दिया गया आदेश केवल उपधारा (2) के प्रति निर्देश से है, पूर्ववर्ती परन्तुक इस प्रकार प्रभावी होगा मानो उसमें से खंड (ख) को लुप्त कर दिया गया हो, और

(ख) ऐसी किसी अवस्था में, जिसमें कि धारा 35 के अधीन दिया गया आदेश केवल उपधारा (3) के प्रति निर्देश से है, पूर्ववर्ती परन्तुक इस प्रकार होगा मानो—

(i) खंड (क) लुप्त कर दिया गया हो,

(ii) खंड (ख) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क) के अधीन निकले अतिशेष के सम्बन्ध में" लुप्त कर दिए गए हों, "उक्त अतिशेष" के स्थान में "अधिशेष की वार्षिक औसत" शब्द रख दिए गए हों और "खंड (ख) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान में "विनिर्दिष्ट पद्धति क से" शब्द और अक्षर रख दिए गए हों ।

स्पष्टीकरण 4—जहां कि बीमाकर्ता भारत के बाहर ऐसा निगमित बीमाकर्ता है जिसकी समादत्त पूंजी भारत के बाहर है, वहां—

(क) पैरा 1 में अन्तर्विष्ट उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "जिसमें से बीमाकर्ता की समादत्त पूंजी के उस भाग के बराबर, जिसे केन्द्रीय सरकार बीमाकर्ता के नियंत्रित कारबार के लिए आबंट्य अवधारित करे, राशि घटा दी जाएगी" शब्द उस पैरा के अन्त में अन्तःस्थापित किए गए हों, और

(ख) पैरा 2 में अन्तर्विष्ट उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो—

(i) "स्पष्टीकरण 4 के खंड (क) में निर्देशित कटौती किए बिना" शब्द "पैरा 1 के अधीन देय" शब्दों के पूर्व अन्तःस्थापित कर दिए गए हों, और

(ii) "धन समादत्त पूंजी" से आरम्भ होने वाले और "बीमा अधिनियम की प्रथम अनुसूची में से खत्म" होने वाले शब्दों को लुप्त कर दिया गया हो ।

भाग ख

जिस अंश (शेयर) पूंजी पर लाभांश या बोनस देय है, वैसी अंश (शेयर) पूंजी वाले जिस बीमाकर्ता ने 1 जनवरी, 1955 से पहले कि किसी तारीख वाले अंतिम बीमांकिक अन्वेषण के बारे में ऐसा कोई आबंटन नहीं किया है जैसा भाग क में निर्दिष्ट है, उसे निगम द्वारा जो प्रतिकर दिया जाना है वह प्रतिकर बीमाकर्ता के वर्तमान नियंत्रित कारबार से अनुलग्न उसकी आस्तियों के मूल्य के, जो उस तारीख को पैरा 3 के उपबंधों के अनुसार संगणित किया गया है, बराबर रकम में से बीमाकर्ता के 19 जनवरी, 1955 को वर्तमान ऐसे कारबार से अनुलग्न उन दायित्वों की रकम घटाकर होगा जो उस तारीख को पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार संगणित की गई है ।

पैरा 3—आस्तियां—(क) किसी भूमि या भवनों का बाजार मूल्य,

(ख) बीमाकर्ता द्वारा धारित किन्हीं अंशों (शेयरों), प्रतिभूतियों या अन्य विनिधानों का बाजार मूल्य,

(ग) बीमाकर्ता द्वारा पट्टे पर ली हुई सब संपत्तियों लेखे दिए गए प्रीमियमों की पूरी रकम जिसमें से ऐसे प्रत्येक प्रीमियम की अवस्था में वह रकम घटा दी जाएगी जिसका ऐसे प्रीमियम से वही अनुपात है जो पट्टे की उस अवसित अवधि का, जिसके बारे में ऐसा प्रीमियम चुका दिया गया है, पट्टे की पूरी अवधि से है,

(घ) बीमाकर्ता को शोध्य ऋणों की रकम, चाहे वे प्रतिभूत हों या अप्रतिभूत हों, वहां तक जहां तक कि उनकी बाबत यह युक्तियुक्ततः समझा जाता है कि वे प्रत्युद्धरणीय हैं,

(ङ) उन प्रीमियमों की रकम, जो बीमाकर्ता को जीवन बीमा पालिसियों लेखे शोध्य हो गई हैं किन्तु चुकाई नहीं गई हैं और जिनकी अदायगी के लिए अनुग्रहावधि समाप्त नहीं हुई है,

(च) बीमाकर्ता द्वारा किसी बैंक में निक्षेप के रूप में या अन्यथा धृत नकद रकम,

(छ) पूर्ववर्ती खंडों में से किसी के अन्तर्गत आने वाली आस्तियों से भिन्न सब मूर्त्त आस्तियों का मूल ।

पैरा 4—दायित्व—(क) जिन परिपक्व दावों के लिए अदायगी की जानी है उन लेखे बीमाकर्ता के पालिसीधारियों के प्रति उन दायित्वों की कुल रकम, जो उसके नियंत्रित कारबार के बारे में हैं ।

(ख) जिन बीमा पालिसियों के भुगतान का समय नहीं आया है वैसी बीमा पालिसी के धारकों के प्रति जो दायित्व बीमाकर्ता के अपने नियंत्रित कारबार के हैं, उन दायित्वों की पूरी रकम, जिन मद्धे दायित्व निम्नलिखित बीमांकिक आधारों पर संगणित किए जाएंगे :

(i) पूर्ण जीवन बीमाओं और सावधि बीमा पालिसियों के बारे में प्रयुक्त की जाने वाली मरण सारणी ओरियन्टल (25-35) परम-मरण सारणी होगी और यह मान लिया जाएगा कि ब्याज 3¼ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से है और सलाभ बीमा पालिसियों की अवस्था में ऑफिस प्रीमियमों का 20 प्रतिशत और अलाभ बीमा पालिसियों की अवस्था में ऑफिस प्रीमियमों का 15 प्रतिशत व्ययों के लिए आरक्षित रखा जाएगा,

(ii) अन्य बीमा पालिसियों की बाबत यह खंड (1) में विनिर्दिष्ट आधार से संगत ऐसे बीमांकिक आधार होंगे जैसे मूल्यांकन करने वाले बीमांकिक द्वारा अवधारित किए गए हों, तथा

(iii) खंड (ख) के अधीन बीमाकर्ताओं के दायित्वों का अवधारण करने में बीमांकिक वे सभी प्रायिक उपबंध तथा आरक्षण करेगा जो मामूली तौर पर ऐसी अवस्थाओं में किए जाते हैं ।

(ग) बीमाकर्ता के अन्य सब दायित्वों की पूरी रकम,

(घ) जहां कि बीमा पालिसी दायित्वों के उस बीमांकिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, जो खंड (ख) के अधीन किया गया है, जीवन बीमा निधि में अधिशेष दिखाई पड़ता है, वहां ऐसे अधिशेष के 96 प्रतिशत के बराबर राशि इस पैरा के अधीन दायित्व समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—भारत के बाहर निगमित ऐसे किसी बीमाकर्ता की अवस्था में, जिसके बारे में धारा 35 के अधीन कोई आदेश दिया गया है, आदेशों में विनिर्दिष्ट यथास्थिति आस्तियां और दायित्व उस भाग के प्रयोजनों के लिए अपवर्जित किए जाएंगे ।

पैरा 5—जिस बीमाकर्ता को इस भाग के अधीन प्रतिकर दिया जाना है यदि वह विस्थापित बीमाकर्ता है तो दिए जाने वाला प्रतिकर निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार संगणित किया जाएगा—

विस्थापित बीमाकर्ता जिन मृत्युओं की बाबत यह साबित कर देता है कि वे भारत और पाकिस्तान की डुमीनियनों की स्थापना के अवसर पर हुए सिविल उपद्रवों के कारण हुई थीं उन मृत्युओं से उद्‌भूत दावों की बाबत जो हानियां विस्थापित बीमाकर्ता द्वारा उठाई गई हैं प्रथमतः वे यह मानकर कि कुल हानि ऐसी मृत्युओं की बाबत दावों के रूप में दी गई रकम और सुसंगत पालिसियों मद्धे बीमांकिक आरक्षित निधि की कुल रकम के बीच के अन्तर के बराबर है, अभिनिश्चित की जाएंगी ;

विस्थापित बीमाकर्ता की पश्चिमी पाकिस्तान में, किसी स्थावर संपत्ति के 15 अगस्त, 1947 के बाजार मूल्य और इस भाग के पैरा 3 के अधीन अवधारित उसके बाजार मूल्य के बीच अन्तर को, अथवा जब कि ऐसी कोई स्थावर संपत्ति 19 जनवरी, 1956 के पहले बेच दी गई है, तब 15 अगस्त, 1947 को उसके बाजार मूल्य और विक्रय कीमत के बीच के अन्तर को द्वितीयतः अभिनिश्चित किया जाएगा ;

विस्थापित बीमाकर्ता द्वारा बैंकों में धारित निक्षेपों की जो रकम किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन घोषित अधिस्थगन के कारण प्रत्याहृत नहीं की जा सकी थी तृतीयतः वह उस मात्रा तक अभिनिश्चित की जाएगी जहां तक कि ऐसे निक्षेप मारे गए हैं ;

पश्चिमी पाकिस्तान में इस समय कारबार करने वाली किसी कंपनी में विस्थापित बीमाकर्ता द्वारा धारित जो कोई अंश (शेयर) 15 अगस्त, 1947 के पहले अर्जित किए गए थे, उनके 15 अगस्त, 1947 को बाजार मूल्य के तथा 19 जनवरी, 1956 को ऐसे अंशों (शेयरों) के बाजार मूल्य के बीच के अन्तर को चतुर्थतः अभिनिश्चित किया जाएगा ।

विस्थापित बीमाकर्ता को इस भाग के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम—

(क) यदि यह पैरा अधिनियमित न किया गया होता तो जो रकम उसे देनी पड़ती, वह रकम होगी, और उसके योग में,

(ख) यदि पैरा 3 में निर्दिष्ट आस्तियों के मूल्य में इस पैरा में निर्दिष्ट चारों मदों का योग जोड़ दिया गया होता और पैरा 4 में निर्दिष्ट दायित्वों लेखे जीवन बीमा निधि को समान राशि से बढ़ा दिया गया होता तो जो प्रतिकर उसे देना पड़ता उसके और यदि वह पैरा अधिनियमित न किया गया होता तो जो प्रतिकर उसे देना पड़ता उसके अन्तर के अर्धांश के समतुल्य रकम होगी,

अथवा

विस्थापित बीमाकर्ता की समादत्त पूंजी के अर्धांश में से जो भी कम है वह रकम होगी ।

स्पष्टीकरण—इस पैरा के प्रयोजनों के लिए विस्थापित बीमाकर्ता से ऐसी बीमा कंपनी अभिप्रेत है जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 1947 के वर्ष के किसी भाग में किसी ऐसे क्षेत्र में था जो इस समय पश्चिमी पाकिस्तान का भाग बन गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय इस समय भारत में है ।

भाग ग

निगम द्वारा उस बीमाकर्ता को—

(क) जिसकी कोई अंश (शेयर) पूंजी नहीं है, या

(ख) जिसकी ऐसी अंश (शेयर) पूंजी है जिस पर कोई लाभांश या बोनस देय नहीं है,

दिया जाने वाला प्रतिकर प्रत्येक सलाभ बीमा पालिसी के अधीन (बोनसों को अपवर्जित कर) बीमाकृत राशि लेखे एक रुपए प्रति हजार की दर पर कृतयोग राशि के रूप में होगा और खंड (ख) के अधीन आने वाले बीमाकर्ता की अवस्था में, बीमाकर्ता की समादत्त पूंजी के समतुल्य उसे चुकाई जाने वाली राशि भी इसके अन्तर्गत होगी ।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 35 देखिए)

कतिपय अवस्थाओं में दायित्वों का मूल्य अवधारित करने के लिए सिद्धांत

भारत के बाहर निगमित बीमाकर्ता के दायित्वों की पूरी रकम धारा 35 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार संगणित रकमों का योग होगी—

(क) बीमा पालिसियां के धारकों के प्रति बीमाकर्ता के अपने नियंत्रित कारबार लेखे जो दायित्व उन परिपक्व दावों लेखे हैं जिन पर अदायगी की जानी है, उन दायित्वों की कुल रकम,

(ख) जो पालिसियों भुगतान के लिए परिपक्व नहीं हो गई हैं उनके धारकों के प्रति बीमाकर्ता के अपने नियंत्रित कारबार मद्धे दायित्वों की पूरी रकम, जिन मद्धे दायित्व निम्नलिखित पद्धति ख के अनुसार संगणित दायित्व या निम्नलिखित पद्धति क और ख में संगणित दायित्वों के मध्यक में से जो भी बड़ा हो, वह होगा ।

पद्धिति क—उन्हें आधारों पर प्रतिगणित बीमांकिक दायित्व जो बीमाकर्ता द्वारा 1 जनवरी, 1956 से पूर्व किसी तारीख के गत बीमांकित अन्वेषण में अपनाए गए थे ।

पद्धिति ख—बीमांकिक दायित्व जो मूल्यांकन की उपांतरित शुद्ध प्रीमियम पद्धति के नाम से ज्ञात पद्धति पर संगणित है, उपयोग में लाई जाने वाली मरण सारणी ओरियन्टल (25-35) परम मरण सारणी होगी और यह मान लिया जाएगा कि ब्याज 2 ½ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से है और बीमा पालिसी द्वारा बीमाकृत राशि का 40 रुपए प्रति हजार प्रथम वर्ष के व्ययों के लिए मोक होगा ।

स्पष्टीकरण 1—पद्धति क और ख के अधीन दायित्व अभिनिश्चित करने के पहले, 31 दिसम्बर, 1955 को प्रवृत्त प्रत्येक सलाभ बीमा पालिसी में (जब तक कि ऐसा जोड़ पहले ही न कर दिया गया हो) उस तारीख से, जब उक्त अंतिम बीमांकिक अन्वेषण किया गया था, उस प्रत्येक वर्ष या भाग मद्धे जिसमें बीमा पालिसी प्रवृत्त रही है, उसी दर पर बोनस जोड़ दिया जाएगा जो उक्त अंतिम बीमांकिक अन्वेषण में घोषित की गई थी ।

स्पष्टीकरण 2—दायित्व पद्धति क या पद्धति ख के अनुसार संगणित करने में—

(i) पूर्ण जीवन बीमा और सावधि बीमा में भिन्न बीमा पालिसियों के बारे में, मूल्यांकन करने वाले बीमांकिक द्वारा अवधारित ऐसा बीमांकिक आधार प्रयोग में लाया जाएगा जो पद्धति में विनिर्दिष्ट आधार से संगत है ; और

(ii) बीमांकिक वे सब प्रायिक उपबंध और आरक्षण करेगा जो ऐसी स्थितियों में मामूली तौर पर किए जाते हैं ;

(ग) बीमाकर्ता के अन्य सब दायित्वों की पूरी रकम ।

तृतीय अनुसूची

(धारा 36 देखिए)

मुख्य अभिकर्ताओं को देय प्रतिकर का अवधारण करने के लिए सिद्धांत

बीमाकर्ता से हुई मुख्य अभिकरण संबंधी संविदा में विनिर्दिष्ट जो अधिभावी कमीशन निगम उस कारबार मद्धे, जो नियत दिन से पूर्व मुख्य अभिकर्ता द्वारा उपाप्त किया गया था, नवीयन प्रीमियमों पर नियत दिवस वर्षों की कालावधि के दौरान प्राप्त करता है उसका 75 प्रतिशत मुख्य अभिकर्ता को देय कमीशन होगा और ऐसा कमीशन उक्त कालावधि तक प्रतिवर्ष अवधारित किया और दिया जाएगा ।

विशेष अभिकर्ताओं को देय प्रतिकर का अवधारण करने के लिए सिद्धांत

विशेष अभिकर्ता के जो वार्षिक औसत उपार्जन बीमा अभिकर्ताओं के माध्यम द्वारा स्वयं द्वारा प्राप्त कारबार मद्धे अधिभावी कमीशन के रूप में 1 जनवरी, 1952 से आरम्भ होने वाली और 31 दिसम्बर, 1955 को खत्म होने वाली कालावधि के अभ्यन्तर हुए हैं उनका आठवां भाग विशेष अभिकर्ता को देय प्रतिकर होगा ।

———